GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकः वाणिज्य / 2023-24 / 11528-12030

दिनांक 12.03.2024

1. खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
................................(समस्त)

2. उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
जिला..............................(समस्त)

3. क्षेत्रीय अधिकारी,
राजफैड,
.... (समस्त)

4. मुख्य व्यवस्थापक,
क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ,
....

विषय :- न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत **रबी वर्ष 2024-25 में दलहन-तिलहन (चना-सरसों)** की खरीद।

प्रसंग :- 1. उप सचिव (एम.पी.एस.), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक एल-15016 / 23 / 2024-एम.पी.एस. (141199) दिनांक 26.02.2024
2. उप सचिव (एम.पी.एस.), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक एल-15016 / 24 / 2024-एम.पी.एस. (141253) दिनांक 27.02.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के अनुसरण में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत रबी वर्ष 2024-25 में कृषि जिन्स **चना-सरसों (gram and mustard)** क्रय हेतु कोटा संभाग में कृषकों का पंजीयन दिनांक 12.03.2024 से एवं शेष राजस्थान में दिनांक 22.03.2024 से आरंभ किया जाना है। पंजीयन प्रकिया संबंधी निर्देश दिनांक 11.03.2024 को जारी किये जा चुके है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत कृषि जिन्स **चना-सरसों** क्रय के संबंध में सामान्य जानकारी/प्रचार-प्रसार कराते हुए क्रय केन्द्रों पर निम्न आवश्यक व्यवस्थायें किये जाने की सुनिश्चितता करें :-

1. खरीद अवधि

उप सचिव (एम.पी.एस.), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत अनुसार खरीद लक्ष्य एवं अवधि निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	उप सचिव (एम.पी.एस.), भारत सरकार का पत्र क्र. एवं दिनांक	जिन्स	आवंटित खरीद लक्ष्य अधिकतम	खरीद अवधि	
			(मै.टन)	संभाग	दिनांक
1	एल-15016 / 23 / 2024 (141199) दिनांक 26.02.2024	सरसों	14,58,118	कोटा संभाग	15.03.2024 से 90 दिवस तक
				शेष राजस्थान	01.04.2024 से 90 दिवस तक
2	एल-15016 / 24 / 2024 (141253) दिनांक 27.02.2024	चना	4,52,365	कोटा संभाग	15.03.2024 से 90 दिवस तक
				शेष राजस्थान	01.04.2024 से 90 दिवस तक

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD, JAIPUR-302 001

2. समर्थन मूल्य दर

रबी 2024-25 में समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत क्रय किये जाने वाले एफ.ए.क्यू. श्रेणी के चना-सरसों का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार घोषित किया गया है:-

क्र.सं.	जिन्स	एफ.ए.क्यू. श्रेणी का समर्थन मूल्य (रू. प्रति क्विं.)
1	चना	5440.00
2	सरसों	5650.00

3. पंजीयन व्यवस्था

3.1 किसानों के पंजीयन की अवधि

राज्य में किसानों द्वारा सरसों-चना के विक्रय हेतु कोटा संभाग में 12 मार्च 2024 से पंजीयन आरंभ किये जा चुके है तथा शेष राजस्थान में किसान 22 मार्च 2024 से पंजीयन करवा सकेंगे। ऑनलाईन पंजीकरण का समय प्रातः 9 बजे से सांय 7 बजे तक रहेगा।

3.2 पंजीकरण केन्द्र एवं पंजीकरण शुल्क

सरसों-चना विक्रय के इच्छुक किसान संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा ई-मित्र पर पंजीकरण करवा सकेगें। किसान द्वारा करवाये जाने जाने वाले प्रत्येक पंजीकरण के लिए डीओआईटी द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा जो वर्तमान में प्रति पंजीकरण 31 रु. है, यदि डीओआईटी द्वारा इन दरों में कोई संशोधन किया जाता है तो तदनुरूप पंजीकरण शुल्क देय होगा। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ महोदय के स्तर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों को आवश्यक रूप से पंजीयन करने हेतु पृथक से भी निर्देश जारी किये जाने अपेक्षित है।

3.3 पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज

पंजीकरण के समय निम्न दस्तावेज आवश्यक होगें:-

1. जनाधार-कार्ड

एक जनाधार-कार्ड पर एक ही पंजीकरण मान्य होगा। जनाधार-कार्ड में अंकित नामों में से जिस नाम से गिरदावरी होगी, उसी के नाम का पंजीकरण मान्य होगा। जनाधार-कार्ड महिला मुखिया के नाम होने के कारण एवं गिरदावरी पति के नाम होने की स्थिति में ऐसा एक पंजीयन स्वीकार किया जा सकता है।

2. **बैंक पास बुक** - राजफैड द्वारा किसानों के जनाधार-कार्ड में सीडेड बैंक खाते में विक्रय की गई जिन्स का भुगतान किया जाना है। कृषक पंजीयन से पूर्व जनाधार-कार्ड में अपने खाते नम्बर को अद्यतन (अंकित करवाना) कराना सुनिश्चित करे। **खाता संख्या व आईएफएससी कोड में विसंगति के लिए कृषक स्वंय उत्तरदायी होगा। ई-मित्र/समितियॉ पंजीकरण से पूर्व प्रचलित बैंक खाते का जनाधार-कार्ड में अद्यतन होना सुनिश्चित करेंगे।**

3. आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाण के पश्चात ही पंजीयन हो सकेगा। कृषक पंजीयन कराने से पूर्व आधार में मोबाईल नम्बर लिंक कराना सुनिश्चित कराये अन्यथा बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं होने से पंजीयन पूर्ण नहीं हो सकेगा।

4. गिरदावरी

जिसके नाम गिरदावरी होगी उसी के नाम पंजीकरण मान्य होगा। एक जनाधार-कार्ड में एक पंजीयन की शर्त यथावत रहेगी। **मूल गिरदावरी में परिवर्तन संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदन के बिना मान्य नही होगा। गिरदावरी में स्पष्टता की दृष्टि से जिला कलक्टर स्तर से राजस्व अधिकारियों को निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये :-**

4.1 गिरदावरी में रकबा हैक्टेयर में (अंको एवं शब्दों दोनों में) अंकित करना आवश्यक होगा।

4.2 गिरदावरी का पी- 35 का क्रमांक एवं दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

4.3 फसल का रकबा हैक्टेयर में अंकित करना अनिवार्य होगा, बीघा में अंकित होगा तो उसे सॉफ्टवेयर द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। गिरदावरी में बुआई क्षेत्रफल हैक्टेयर में अंको व शब्दों में अंकित होना चाहिए, पंजीकरण हेतु इच्छुक कृषक के हिस्से का स्पष्ट उल्लेख हो एवं बोई गई फसल का नाम व रकबा भी स्पष्ट हो।

4.4 गिरदावरी पर पटवारी की मोहर एवं मोबाईल नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित होने चाहिए।

4.5 जमाबन्दी के आधार पर पंजीयन स्वीकार्य नही होगें।

4.6 जिन जिलों/तहसील क्षेत्र में ऑनलाइन गिरदावरियों की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर ऑनलाइन गिरदारी भी स्वीकार की जा सकेगी। किसान ऑनलाइन गिरदावरी प्राप्त कर, उस पर भी पी 35 का क्रमांक एवं दिनांक अंकित करवाकर पंजीयन के दौरान आवश्यक रूप से अपलोड करवाना अनिवार्य होगा।

4.7 ई-मित्र द्वारा पंजीकरण के समय गलत गिरदावरी उपलोड करने की स्थिति में संबंधित केन्द्र के मुख्य व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी खरीद के समय किसान की मूल गिरदावरी प्राप्त कर, स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। ऐसे दुरूस्तीकरण के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं आवश्यक संशोधित दस्तावेज समिति कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

4.8 कृषक/ई-मित्र द्वारा ऑनलाईन प्रकियानुसार अपलोड़ किये गये दस्तावेजों यथा गिरदावरी, बैंक पासबुक, जनाधार-कार्ड का क्रय केन्द्र पर मूल भौतिक रिकॉर्ड से मिलान किया जावें। यदि कोई विसंगति ध्यान में आती है तो केन्द्र पर उपलब्ध मूल रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए गिरदावरी में अंकित रकबे के आधार पर कृषक से जिन्स खरीद की मात्रा का पूर्ण ध्यान रखा जावें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।

नोट – मूल गिरदावरी में संशोधन राजफैड़ मुख्यालय स्तर से अनुमोदन के बिना मान्य नहीं होगा।

5. बटाईदार

5.1 बटाईदार की स्थिति में कृषि भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य बुआई से पूर्व या बुवाई अवधि (कृषि विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 06.02.2024 (परिशिष्ट-1) के अनुसार सरसों-चना के लिए (सितम्बर 2023 से नवम्बर 2023) के समय का अनुबंध मान्य होगा एवं भूमि मालिक की गिरदावरी तथा जनआधार कार्ड एवं बटाईदार का जनआधार कार्ड आवश्यक होगा। बुआई अवधि के बाद का अनुबंध पंजीकरण हेतु स्वीकार्य नही होगा। भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य एक जिन्स के लिए एक ही अनुबंध मान्य होगा। कृषि भूमि मालिक एवं काश्त करने वाले किसान के मध्य रुपये 100 के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जाना है। बटाई अनुबन्ध को पंजीकरण के समय गिरदावरी के साथ ही अपलोड कराना आवश्यक होगा अन्यथा पंजीयन मान्य नहीं होगा।

5.2 भूमि मालिक यदि चाहे तो जनआधार कार्ड के आधार पर अपना अथवा बटाईदार की स्थिति में उसके नाम से पंजीयन करवा सकता है अर्थात एक जनआधार कार्ड पर केवल एक ही पंजीयन स्वीकार होगा।

5.3 भूमि मालिक एवं बटाईदार के दो पृथक-पृथक पंजीयन स्वीकार नहीं होगें अर्थात् भूमि मालिक किसान स्वयं अथवा बटाईदार दोनों में से कोई एक जिन्स विक्रय कर सकेगा।

6. पंजीकरण की अधिकतम सीमा

(अ) राज्य की पंजीयन सीमा

भारत सरकार से जिन्सवार प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार प्रति किसान 25 क्विंटल की उपार्जन सीमा अनुसार 100 प्रतिशत तक फसलवार पंजीयन किये जाने है। प्रथमतः 90 प्रतिशत सीमा तक एवं शेष 10 प्रतिशत पंजीयन समीक्षा उपरान्त किये जा सकेंगें।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

(ब) जिले की पंजीयन सीमा

सरसों-चना के कृषि विभाग से प्राप्त जिलेवार उत्पादन अनुमान के आधार पर जिले में उत्पादित जिन्स के 25 प्रतिशत तक खरीद की सीमा होगी। जिले की खरीद सीमा एवं प्रति कृषक 25 क्विं. अधिकतम क्रय के आधार पर प्राप्त कृषकों की संख्या से जिले की खरीद मात्रा की सीमा एवं प्रति कृषक निर्धारित अधिकतम क्रय मात्रा के आधार पर सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति अनुसार जिलेवार, जिन्सवार पंजीयन किया जा सकेगा।

(स) क्रय केन्द्र की पंजीयन सीमा

क्रय केन्द्रों की पंजीकरण सीमा जिस तहसील से क्रय केन्द्र है, उस तहसील के उत्पादन अनुमान के आधार पर तय की जावेगी। **पंजीकरण एवं दिनांक आवंटन खरीद की गारंटी नहीं होगी, अधिकाधिक किसानों को अवसर प्रदान करने की दृष्टि से पंजीकरण किये जाने है। किसानों के पंजीयनों को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर समीक्षा कर जिले की सीमा के अन्तर्गत पंजीयन सीमा का समायोजन किया जा सकेगा। पंजीयन सीमा का निर्धारण निम्न फॉर्मूला अनुसार सरसों-चना हेतु केन्द्रों की पंजीकरण सीमा का आंकलन किया जावेगा** :-

$$\frac{\text{तहसील का उत्पादन क्विंटल में (जिन्स का नाम- सरसों-चना)}}{\text{जिन्स का जिलों से प्राप्त तहसीलवार उत्पादन का योग (जिले में जिन्स का कुल उत्पादन) (जिन्स का नाम - सरसों-चना)}} \times \text{जिले की जिन्स विशेष हेतु पंजीकरण सीमा}$$

यदि किसी तहसील में जिन्स अनुसार एक से अधिक क्रय केन्द्र होंगें तो तुलाई हेतु पंजीयनों के आवंटन के निम्न विकल्प है :-

विकल्प 1. के.वी.एस.एस. एवं जी.एस.एस. (सहकार मित्र) में पंजीयनों का विभाजन 60 एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में किया जावेगा।

विकल्प 2. एक ही एजेन्सी (समिति) के एक से अधिक खरीद केन्द्र होने पंजीयनों का विभाजन उनकी तुलाई क्षमता(कांटो की संख्या) के आधार पर किया जावेगा।

खरीद केन्द्रों पर कांटों की संख्या पंजीयनों की संख्या के आधार पर घटाई/बढाई जा सकती है। यदि एक स्थान पर 2 क्रय एजेन्सी कार्यरत है तो उस स्थिति में पंजीयनों को दोनों एजेन्सियों में 50:50 के अनुपात में विभाजित करने के उपरांत संबंधित क्रय-विक्रय सहकारी समिति एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 60:40 के अनुपात में विभाजन किया जावेगा।

जिले में समर्थन मूल्य पर जिन्स उपार्जन की अधिकतम खरीद सीमा जिले के संभावित उत्पादन के 25 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी।

(द) समर्थन मूल्य रबी 2024 के दौरान किसानों को तुलाई हेतु संदेश भेजे जाने हेतु किसानों की संख्या का निर्धारण संबंधी क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़ के क्षेत्र में आने वाले सभी क्रय केन्द्रों पर खरीद हेतु अपेक्षित आधारभूत आवश्यकता यथा बारदाना, हैण्डलिंग एवं परिवहन की व्यवस्था को देखते हुए सप्ताहिक रूप से लिखित में अनुशंषा आई.टी. शाखा मुख्यालय, राजफैड़ को ई-मेल आई.डी. **rajfed.opr@yahoo.com** पर भिजवाने पर ऑनलाईन सिस्टम द्वारा जिन्सवार स्वतः वरीयता क्रम में किसानों को उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर संदेश जारी किये जा सकेंगे। सभी क्षेत्रीय अधिकारी प्रत्येक गुरूवार सायं तक उक्त सूचना ई-मेल द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि आगामी सप्ताह (सोमवार से शुक्रवार) के लिए समय पर तुलाई संदेश जारी किये जा सके एवं संबंधित किसान द्वारा समय पर तुलाई बाबत संदेश प्राप्त होने पर अपने जिन्स की तुलाई निर्धारित केन्द्र पर करवा सके।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

7. क्रय केन्द्र

सरसों-चना के लिए ही पंजीकरण मान्य होगा, अन्य जिन्स के लिए यदि किसान द्वारा पंजीकरण करवाया जाता है तो वह स्वीकार्य नही होगा। किसान की कृषि भूमि जिस तहसील में होगी उसी तहसील के कार्य क्षेत्र में आने वाले क्रय केन्द्र का चयन फसल विक्रय हेतु किसान द्वारा किया जा सकेगा। **यदि कृषक/ई-मित्र द्वारा गलत तहसील भरकर पंजीयन कराया गया है, तो जिन्स क्रय नहीं किया जावेगा।** यदि कृषक/ई-मित्र द्वारा वास्तविक तहसील के स्थान पर अन्य गलत तहसील भरकर पंजीयन करवाता है, तो जिन्स क्रय नहीं किया जावेगा।

रबी सीजन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर चना-सरसों के 520-520 केन्द्रों की सूची दिनांक 05.03.2024 से जारी की जा चुकी है। **कृषक के द्वारा क्रय केन्द्र के स्थानान्तरण के अनुरोध को स्वीकार नहीं** किया जावेगा।

8. मोबाईल नम्बर

किसान द्वारा एक मोबाईल नम्बर पर केवल एक पंजीकरण दर्ज करवाया जा सकेगा अर्थात प्रत्येक पंजीकरण में पृथक-पृथक मोबाईल नम्बर दर्ज होगें जिसमें वह अपने सरसों-चना के पंजीकरण में दर्ज करवा सकेगा।

9. अन्य

9.1 किसान को पंजीकरण में सम्बन्धित जिन्स की गिरदवारी जुडवाने की दिनांक के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा वरीयता क्रम में तुलाई दिनांक एवं उससे खरीद की जाने वाली मात्रा सबंधित केन्द्र पर लाने बाबत पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

9.2 यदि किसान किसी कारणवश निर्धारित दिनांक को क्रय केन्द्र पर अपनी जिन्स का विक्रय नहीं कर पाता है, **तो वह 10 दिवस की अवधि में अपना जिन्स कभी भी तुलवा सकता है।**

9.3 तुलाई पश्चात् किसान का ऑनलाइन बिल आधार आधारित अभिप्रमाणन के पश्चात् जनरेट कर एक प्रति किसान को दी जावेगी।

9.4 जिन्स विक्रय के पश्चात किसान के जन आधार कार्ड में अंकित बैंक खाते में सीधे ही जिन्स विक्रय की राशि संबंधित क्रय केन्द्र एवं संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरान्त राजफैड़ मुख्यालय स्तर पर दो सक्षम अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर पश्चात् मुख्यालय लेखा अनुभाग द्वारा निर्देशित बैकों के माध्यम से समय-समय पर स्थानान्तरित कर दी जावेगी।

10. ऑनलाइन पंजीकरण में समस्यायें एव निराकरण

विभिन्न क्रय केन्द्रों एवं कृषकों को ऑनलाइन पंजीकरण में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का निराकण निम्नानुसार करने की व्यवस्था की गई है:-

क्र.सं.	ऑनलाईन पंजीकरण में समस्या	निराकरण
1.	ऑनलाईन पंजीकरण में जन-आधार कार्ड महिला मुखिया के नाम होने तथा कृषि भूमि पति/पत्नी के नाम होने के कारण पंजीकृत किसान की कृषि जिन्स खरीद करने बाबत।	जन-आधार कार्ड में एक पंजीयन की शर्त यथावत रहेगी। जन-आधार कार्ड महिला मुखिया के नाम होने के कारण एवं गिरदावरी पति के नाम होने की स्थिति में ऐसा एक पंजीयन स्वीकार किया जा सकता है।
2.	किसान को तुलाई दिनांक आवंटन के पश्चात 10 दिवस में जिन्स तुलाई नहीं होने की स्थिति में तुलाई प्रकिया।	किसान को दिनांक आवंटन होने के बाद खरीद केन्द्र पर बारदाने के अभाव/क्रय की गई जिन्स का उठाव नहीं होने या अन्य वाजिब कारण से यदि तुलाई नहीं हुई है तो ऐसे कृषकों की जिन्स की तुलाई हेतु कृषक के प्रार्थना पत्र के साथ क्रय

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

		केन्द्र के माध्यम से सबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को प्रेषित करेगें जिसे क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड द्वारा अपनी अनुशंषा सहित मुख्यालय को प्रेषित करेगें। राजफैड मुख्यालय स्तर से स्वीकृति उपरांत जिन्स की तुलाई हो सकेगी।
3.	यदि गिरदावरी में अंकित नाम का मिलान जन–आधार कार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों के नाम से मिलान नहीं होता है तो ऐसे पंजीकरण की स्थिति के सबंध में।	यदि गिरदावरी में अंकित नाम का मिलान जन–आधार कार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों के नाम से मिलान नहीं होता है तो ऐसे पंजीयन खरीद हेतु स्वीकार नहीं किये जावेगें।
4.	<u>ई–मित्र द्वारा पंजीयन के समय गलत गिरदावरी अपलोड करने की स्थिति में वास्तविक गिरदावरी के आधार पर संशोधन/दुरूस्तीकरण।</u>	ई–मित्र द्वारा पंजीयन के समय गलत गिरदावरी उपलोड करने की स्थिति में संबंधित केन्द्र मुख्य व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी खरीद के समय किसान की मूल गिरदावरी प्राप्त कर, स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। ऐसे दुरूस्तीकरण के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं आवश्यक संशोधित दस्तावेज समिति कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। पंजीयन के समय ई–मित्र द्वारा जो गलत गिरदावरी अपलोड की गई एवं जिस वास्तविक मूल गिरदावरी के आधार पर संशोधन कर संशोधित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किये जा रहे है को पूर्ण रूप से समिति कार्यालय में रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखा जाये एवं इस कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाये। <u>फर्जी गिरदावरी अथवा गलत गिरदावरी के आधार पर खरीद की संभावना शून्य रहे, को सतर्कता से सुनिश्चित किया जाना है।</u>
5.	ओटीपी आधार आधारित बायोमैट्रिक प्रमाणन असफल होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (पंजीकरण के समय यह सुविधा ऐसे कृषक जिनके दोनों हाथ नहीं है अथवा फिंगर प्रिन्ट घिस गये है, हेतु ही मान्य होगी।)	तीन बार बायोमैट्रिक फेल होने के पश्चात् ओटीपी विकल्प का चयन किया जा सकता है। अतः ओटीपी विकल्प का चयन वास्तविक पात्र किसानों के लिए ही किया जाना है। किसी भी कृषक के अंगूठे बायोमैट्रिक प्रमाणन योग्य होने के उपरांत भी यदि उक्त किसान का पंजीयन ओटीपी आधार पर किया जाता है तो ऐसे पंजीयन स्वीकार्य नहीं होगें। सबंधित ई मित्र द्वारा सर्वप्रथम बायोमैट्रिक आधार आधारित अभिप्रमाणन हेतु प्रयास किया जावेगा। डीओआईटी के माध्यम से प्राप्त आधार आधारित बायोमैट्रिक अभिप्रमाणन असफल होने की स्थिति में ही ई–मित्र द्वारा ओटीपी ऑप्शन को उपयोग में लिया जाना है। ओटीपी ऑप्शन काम में लेने पर डेटाबेस में किसान का जनआधार आई.डी. नम्बर तथा प्रविष्टि करने वाले यूजर का रिकॉर्ड स्वतः ही सेव(save) हो जायेगा। ओटीपी का एसएमएस किसान के आधार में पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर ही जाएगा। ओटीपी डालने पर ही पंजीकरण हो सकेगा। 1. ऐसे कृषकों के संबंध में ई–मित्र द्वारा कृषक की पहचान सुनिश्चित की जावेगी एवं ऐसे कृषकों की फोटो केप्चर की जावेगी। 2. ऐसे कृषकों के सम्बन्ध में ई–मित्र द्वारा कृषक की पहचान सुनिश्चित की जावेगी एवं ऐसे कृषकों की फोटो केप्चर की जावेगी एवं उनके हाथ के अंगूठे/दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांगता को प्रदर्शित करने वाला फोटो भी केप्चर कर रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जावेगा।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076.
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD, JAIPUR-302 001

		3. ऐसे कृषक के खरीद के समय केन्द्र पर पहुँचने पर उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर सम्बन्धित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखते हुए खरीद सुनिश्चित की जावे। ऐसे पंजीयन एवं खरीद सम्बन्धी समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी का होगा। 4. खरीद के समय केन्द्र के मुख्य व्यवस्थापक/खरीद केन्द्र प्रभारी ऐसे कृषक जिनके हाथ के अंगूठे दिव्यांग होने की स्थिति में या हाथ के अंगूठे घिसे होने की स्थिति में किसान का फोटो बायोमैट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाते हुए राजफैड़ आई.टी. शाखा की ई-मेल आई.डी. **rajfed.opr@yahoo.com** पर अपने हस्ताक्षर एवं मोहर सहित ई-मेल द्वारा भिजवाएगें। तत्पश्चात् सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत ओटीपी जारी किया जाएगा।
6.	भूमि विवरण जीरो दर्ज होने पर आवश्यक दुरूस्तीकरण।	ऑनलाइन प्रविष्टियों में यदि भूमि विवरण जीरो दर्ज हो गया है तो संबंधित केन्द्र के मुख्य व्यवस्थापक/क्रय केन्द्र प्रभारी किसान से खरीद के समय मूल गिरदावरी से मिलान कर आवश्यक संशोधन कर सकेगा, इससे संबधित समस्त रिकॉर्ड समिति कार्यालय में सुरक्षित रखा जावे ऐसे दुरूस्तीकरण के लिए संबधित केन्द्र प्रभारी स्वंय जिम्मेदार होगें। **उक्त परिस्थिति में किसान का पंजीयन संशोधन दिनांक से मान्य होगा एवं उक्त तिथि की वरीयतानुसार सॉफ्टवेयर से स्वतः दिनांक आवंटित** होगी।
7.	पी 35 दिनांक – क्रमांक एवं राजस्व ग्राम अपडेट करना।	ऑनलाइन पंजीयन के समय यदि पी 35 क्रमांक, दिनांक एवं राजस्व ग्राम गलत प्रिंट हो गया है तो संबंधित क्रय केन्द्र के मुख्य व्यवस्थापक स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. से मूल गिरदावरी में अंकित पी 35 क्रमांक, दिनांक एवं राजस्व ग्राम का पंजीकरण में संशोधन कर सकेगा।

11. ई-मित्र के निम्न दायित्व होगें

11.1 ई-मित्र का दायित्व होगा कि पंजीकरण से संबंधित नियमों की पूर्ण पालना करते हुए किसानों का सरसों-चना का विक्रय हेतु पंजीकरण किया जावे।

11.2 ई-मित्र द्वारा पंजीकरण कार्य में अनियमितता/लापरवाही बरतने की स्थिति में सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग (डीओआईटी), राजस्थान सरकार द्वारा ई-मित्र के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही, ई-मित्र का लाईसेंस निरस्त करने, शास्ती अधिरोपित करने आदि संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगें।

पंजीयन कार्य में ई-मित्र की भूमिका को ध्यान में रखते हुए एवं राजफैड़ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की ई-मित्र कियोस्क से पूर्ण कठोरता से पालना सुनिश्चित कराने हेतु तकनीकी निदेशक, डीओआईटी, जयपुर को पत्र क्रमांक आई.टी./2023-24/5649-5743 दिनांक 12.10.2023 (परिशिष्ट-2) के द्वारा अनुरोध करने पर उनके द्वारा पत्र क्रमांक एमएल/2092/2023 दिनांक 13.10.2023 (परिशिष्ट-2.1) से सभी जिला अधिकारियों को राजफैड़ द्वारा जारी निर्देशों की सभी ई-मित्र कियोस्कों के स्तर पर पूर्ण कडाई एवं सावधानी से पालना करने हेतु पाबन्द किया हुआ है। सभी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारीगण अपने-अपने जिला स्तर से भी ई-मित्र कियोस्क धारकों को पाबन्द कराना सुनिश्चित करें।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

11.3 पंजीकरणकर्ता ई–मित्र/समिति पंजीयन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने के लिये दायित्वाधीन होंगें :–

1. गिरदावरी

(i) फसल का रकबा हैक्टेयर में अंकित करना अनिवार्य होगा, **बीघा में अंकित होगा तो उसे** सॉफ्टवेयर द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। गिरदावरी में बुआई क्षेत्रफल हैक्टेयर में अंको व शब्दों में अंकित होना चाहिए, पंजीकरण हेतु इच्छुक **कृषक के हिस्से का** स्पष्ट उल्लेख हो एवं बोई गई फसल का नाम व रकबा भी स्पष्ट अंकित होना चाहिये।

(ii) गिरदावरी पर पटवारी की मोहर एवं मोबाईल नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित होने चाहिए।

(iii) जिन जिलों/तहसील क्षेत्र में ऑनलाइन गिरदावरियों की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर ऑनलाइन गिरदारी भी स्वीकार की जा सकेगी। किसान ऑनलाइन गिरदावरी प्राप्त कर, उस पर भी पी 35 का क्रमांक एवं दिनांक अंकित करवाकर पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर सकेगा।

2. आधारकार्ड में मोबाईल नम्बर लिंक होना सुनिश्चित करे।

3. जनआधार कार्ड में प्रचलित बैंक खाता Seeded होने का सत्यापन करें।

4. पंजीकरण फार्म में गिरदावरी में अंकित पी–35 का क्रमांक एवं दिनांक आवश्यक रूप से अंकित करे।

5. जमाबन्दी के आधार पर पंजीयन स्वीकार्य नही होगें।

6. बटाईदार की स्थिति में कृषि भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य बुआई से पूर्व या बुवाई अवधि (कृषि विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 06.02.2024 (परिशिष्ट–1) के अनुसार सरसों–चना के लिए (सितम्बर 2023 से नवम्बर 2023) के समय का 100 रू के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध मान्य होगा एवं भूमि मालिक की गिरदावरी तथा जनआधार कार्ड एवं बटाईदार का जनआधार कार्ड आवश्यक होगा। बुआई अवधि के बाद का अनुबंध पंजीकरण हेतु स्वीकार्य नही होगा। भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य एक जिन्स के लिए एक ही अनुबंध मान्य होगा। अनुबन्ध को पंजीकरण के समय गिरदावरी के साथ स्कैन कर अपलोड कराना आवश्यक होगा अन्यथा पंजीयन मान्य नहीं होगा।

7. किसी भी कृषक के अंगूठे बायोमैट्रिक प्रमाणन योग्य होने के उपरांत भी यदि उक्त किसान का पंजीयन ओटीपी आधार पर किया जाता है तो ऐसे पंजीयन स्वीकार्य नहीं होगें एवं संबंधित ई–मित्र के खिलाफ विभागीय कार्यवाही यथा ई–मित्र लाईसेंस निरस्त करना, अर्थदण्ड लगाना एवं पुलिस कार्यवाही अमल में लायी जावेगी जिसके लिए ई–मित्र स्वयं उत्तरदायी होगें। ओटीपी विकल्प का उपयोग वास्तविक प्रकरणों में ही किया जाना है।

8. जिस तहसील में भूमि है उस तहसील के केन्द्र पर ही पंजीयन किया जावे अन्यत्र तहसील पर पंजीकरण करने की स्थिति में कृषक से जिन्स क्रय नहीं की जावेगी एवं उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने पर सम्बन्धित ई–मित्र/समिति के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

9. समर्थन मूल्य पर खरीद के दौरान पंजीयन कराते समय किसान के जनआधार कार्ड में अंकित बैंक खाते की पासबुक से मिलान कर खाता नम्बर की पुष्टि करें। यदि खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर गलत है तो जनआधार कार्ड में संशोधन करवाना भी सुनिश्चित करें।

12. बायोमैट्रिक मशीन

क्रय केन्द्र पर फसल बेचान हेतु आने वाले कृषक से आधार आधारित अभिप्रमाणन के पश्चात ही जिन्स की खरीद की जावेगी इस हेतु सभी क्रय केन्द्रों पर बायोमैट्रिक डिवाईस उपलब्ध होना एवं उनका एक्टिवेशन होना सुनिश्चित किया जावे। विक्रय हेतु आने वाले कृषक का फोटो केप्चर किया जावे। इस पर होने वाला व्यय सबधित समिति द्वारा वहन किया जावेगा।

समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन (चना/सरसों) में यदि किसी प्रकार की समस्याओं हो तो किसान हैल्प लाईन नम्बर 18001806001 पर दर्ज करवा सकेंगे एवं सम्बन्धित क्रय विक्रय सहकारी समिति एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड़ तथा राजफैड़ मुख्यालय में स्थापित कॉल सेन्टर पर शिकायत दर्ज करवा सकेगें।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

13. तुलाई हेतु मैसेज

तुलाई हेतु कृषक को संदेश भेजे जाने की संख्या का निर्धारण सामान्यतः सिस्टम द्वारा जिन्सवार वरीयता क्रम में केन्द्र पर कुल पंजीयन संख्या एवं तुलाई हेतु कुल कार्यदिवस के आधार पर किया जाता है। **केन्द्रों पर जिन्स तुलाई की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से समर्थन मूल्य रबी 2024 के दौरान किसानों को तुलाई हेतु संदेश भेजे जाने हेतु किसानों की संख्या का निर्धारण संबंधी क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़ के क्षेत्र में आने वाले सभी क्रय केन्द्रों पर खरीद हेतु अपेक्षित आधारभूत आवश्यकता यथा बारदाना, हैण्डलिंग एवं परिवहन की व्यवस्था को देखते हुए सप्ताहिक रूप से लिखित में अनुशंषा आई.टी. शाखा मुख्यालय, राजफैड़ को ई-मेल आई.डी. rajfed.opr@yahoo.com पर भिजवाने पर ऑनलाईन सिस्टम द्वारा जिन्सवार स्वतः वरीयता क्रम में किसानों को उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर संदेश जारी किये जा सकेंगे।** सभी क्षेत्रीय अधिकारी प्रत्येक गुरूवार सायं तक उक्त सूचना ई-मेल द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि आगामी सप्ताह (सोमवार से शुक्रवार) के लिए समय पर तुलाई संदेश जारी किये जा सके एवं संबंधित किसान द्वारा समय पर तुलाई बाबत संदेश प्राप्त होने पर अपने जिन्स की तुलाई निर्धारित केन्द्र पर करवा सके।

14. किसान से जिन्स की क्रय प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

1. क्रय केन्द्र पर पहुँचने वाले कृषक से प्रथमतः निम्न दस्तावेज प्राप्त किये जावे :-
   - (I) जन-आधार कार्ड
   - (II) आधार कार्ड
   - (III) गिरदावरी की मूल नकल
   - (IV) बैंक पास बुक की प्रति
   - (V) बटाईदार की स्थिति में बटाईदार का मूल अनुबंध

दस्तावेजों एवं भूमि रिकॉर्ड में किसी भी तरह की कटिंग, ओवरराईटिंग, इरेजिंग (erasing) मान्य नहीं होगी एवं ऐसे किसान से खरीद नहीं की जावेगी। यदि ऐसे किसान से दलहन-तिलहन की खरीद की गई, तो समिति मुख्य व्यवस्थापक/खरीद केन्द्र प्रभारी स्वंय उत्तरदायी होगे।

2. केन्द्र पर जिन्स विक्रय करने वाले किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जावे एवं फोटो केप्चर करने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों की अपलोड रिकॉर्ड से मिलान कर जॉच की जावे। इस हेतु केन्द्र प्रभारी उत्तरदायी होगें।

3. एफएक्यू गुणवत्ता मापदंडो की जॉच की जावे। जिन्स नॉन एफएक्यू होने की स्थिति में बिन्दु क्रमांक 15 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

4. **कृषक द्वारा गिरदावरी की हार्डकॉपी में अंकित जिन्स के बोये गये क्षेत्रफल एवं जिले की उत्पादकता के अनुसार क्रय की जाने वाली मात्रा तक ही जिन्स की खरीद की जानी है। क्रय केन्द्र द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक खरीद की जाती है तो केन्द्र प्रभारी स्वंय उत्तरदायी होगें।**

5. सैम्पल पास होने के उपरान्त केन्द्र पर तुलाई व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

6. **तुलाई के पश्चात् ऑनलाईन विक्रय पर्ची कृषि जिन्स विक्रय दिवस को ही जारी की जानी अनिवार्य होगी।**

7. **ऑनलाईन विक्रय पर्ची के अभाव में खरीद पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकेगी।**

8. **ऑनलाईन बिल जारी करने हेतु मुख्य व्यवस्थापक/क्रय केन्द्र प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। पूर्व में ऐसा देखने में आया है कि कुछ केन्द्रों पर कृषकों से जिन्स तुलाई के उपरांत ऑनलाईन विक्रय पर्ची अपलोड नहीं की गई, जिसके कारण कृषक को ऑनलाईन प्रक्रियानुसार भुगतान संभव नहीं हो पाता जबकि कृषक का एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स भण्डारगृह में भी जमा हो चुका होता है। अतः ऑनलाईन बिल/विक्रय पर्ची अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड की जाये।**

9. ऑफलाईन खरीद करने अथवा निर्धारित समय में ऑनलाईन विक्रय बिल नहीं बनाने पर संबंधित समिति उत्तरदायी होगी।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

10. ऑफलाइन खरीद किये जाने पर भुगतान का दायित्व राजफैड़ का नहीं होगा एवं ऑफलाइन क्रय जिन्स समिति की होगी एवं इस क्रम में समस्त दायित्व संबंधित समिति का होगा।
11. कृषि जिन्स खरीद का समस्त रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाकर पोर्टल पर दर्ज करवानें की सुनिश्चितता करें।
12. भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स (दलहन-तिलहन) लाने का उत्तरदायित्व स्वयं किसान का होगा।
13. **कृषि जिन्स कांटे तक लाये जाने हेतु वसूल योग्य राशि समिति द्वारा संबंधित किसान प्राप्त कर उसकी रसीद कृषक को दी जावेगी तथा रसीद की एक प्रति समिति अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेगी तथा मण्डी लेबर की राशि का भुगतान समिति द्वारा संबंधित लेबर/ठेकेदार को किया जावेगा।**

14.1 उत्पादकता

रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर चना-सरसों की खरीद मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान के पत्र क्रमांक एफ6(III) आ.कृ. दलहन-तिलहन/2024/14599-600 दिनांक 07.02.2024 के आधार पर की जानी है। उक्त पत्र राजफैड़ के पत्र दिनांक 07.02.2024 से भिजवाये जा चुके है कि प्रति संदर्भ हेतु **परिशिष्ट-3 से 5** पर संलग्न है। **जिले की औसत उत्पादकता एवं मूल गिरदावरी में दर्शित बोये गये जिन्स के क्षेत्रफल के आधार पर किसान से खरीद किये जाने का दायित्व समिति का होगा।**

14.2 मंदिर की कृषि एवं रिसीवरी भूमि से सम्बन्धित दलहन/दलहन की खरीद प्रक्रिया

मन्दिर माफी की भूमि एवं रिसिवरी भूमि पर काश्त करने वाले किसानों से समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन की खरीद की मांग समय-समय पर की जाती रही है। पूर्व में सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति अनुसार उपरोक्त प्रकरणों में समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन की खरीद के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः-

1. देव स्थान/मन्दिर मूर्ति की भूमि के प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदी/खसरा गिरदावरी में मन्दिर मूर्तियों के नाम दर्ज भूमियों पर **काश्तं करने वाले काश्तकारों के नाम तहसील में एक पंजिका में पृथक से दर्ज होते है इन प्रकरणों में तहसीलदार द्वारा सबंधित काश्तकार को संबंधित खसरा नम्बर में काश्त करने बाबत एक प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित खसरा नम्बर में पैदा हुई दलहन तिलहन को नियमानुसार समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा सकेगा।**
2. कई प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा रिसीवरी की भूमियाँ दी जाती है जिनमें प्रतिवर्ष काश्त हेतु भूमि की नीलामी की जाती है। नीलामी में लेने वाले काश्तकारों द्वारा उन भूमियों पर काश्त की जाती है। **न्यायालय आदेशों से रिसीवरी में दी गई भूमियों की जानकारी तहसील मे पृथक पंजिका संघारित की जाती है। अतः संबंधित तहसीलदार के प्रमाण पत्र के आधार पर नीलामी में भूमि काश्त पर लेने वाले काश्तकार से दलहन तिलहन की नियमानुसार समर्थन मूल्य खरीद की जा सकेगी।**
3. मन्दिर माफी/देव मूर्तियों की भूमियों के सबंध में काश्त करने वाले पुजारियों की समस्याओं के समाधान बाबत संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज-6/2007 पार्ट/5 दिनांक 12.09.18 की प्रति **परिशिष्ट-6** पर संलग्न है।

14.3 बटाईदार कृषक से खरीद प्रक्रिया

बटाईदार कृषक की जिन्स क्रय किये जाने से पूर्व खरीद केन्द्र प्रभारी भूमि मालिक या बटाईदार कृषक दोनों में से किसी एक कृषक से ही खरीद किया जाना सुनिश्चित करेगे। बटाईदार कृषक से खरीद किये जाने हेतु केन्द्र प्रभारी एक रजिस्टर का संधारण करेगे, जिसमें भूमि मालिक एवं बटाईदार की दोनों की डिटेल का अंकन किया जावे एवं बटाईदार कृषक से खरीद किये जाने से पूर्व रजिस्टर/रिकॉर्ड से मिलान कर यह सुनिश्चित किया जावे कि भूमि मालिक/बटाईदार में से किसी एक के द्वारा पूर्व में तुलाई तो नहीं कराई गई है

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

अर्थात् बटाईदार के मामले भूमि मालिक अथवा बटाईदार दोनों में से किसी एक से ही जिन्स की खरीद की जानी है। रजिस्टर का संधारण निम्न प्रारूप निम्नानुसार किय जावे :–

भूमि मालिक				बटाईदार				
भूमि मालिक का नाम	जन–आधार कार्ड का न.	मो.न.	भूमि का खाता सं.	बटाईदार का नाम	जन–आधार कार्ड का न.	मो.न.	भूमि का खाता सं.	जिन्स जिसके लिये अनुबन्ध किया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9

उक्त सूचना रजिस्टर के साथ–साथ राजफैड़ द्वारा प्रेषित एक्सल शीट में भी संधारित की जानी है। यदि पंजीयन दोहराया जाना पाया जाता है, तो ऐसे पंजीयन पर जिन्स की खरीद नहीं की जानी है। क्रय केन्द्र प्रभारी/समिति मुख्य व्यवस्थापक 25 प्रतिशत बटाई अनुबंधों को सत्यापन करेंगें।

समिति द्वारा बटाईदार के अनुबंध का सत्यापन भूमि मालिक से आवश्यक रूप से किया जावें। इस हेतु क्रय केन्द्र प्रभारी एवं समिति मुख्य व्यवस्थापक संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगें।

14.4 कृषि जिन्स खरीद मात्रा

भारत सरकार के निर्देशानुसार एक दिन में एक किसान से अधिकतम 50 कट्‌टे (50 किलो भर्ती) जिन्सवार क्रय किये जा सकेंगे अर्थात एक किसान से एक दिन में अधिकतम 25 क्विन्टल कृषि जिन्स बुवाई रकबे के अनुपात में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिन्सवार क्रय किये जा सकेगे।

15. गुणवत्ता मापदण्ड

भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय किये जाने हेतु विभिन्न जिन्सों की खरीद हेतु अलग–अलग गुणवत्ता मापदंड निर्धारित किये गये है। एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता की जिन्स विक्रय हेतु लाये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कृषक का होगा। अतः काश्तकार क्रय केन्द्र पर जिन्स विकय हेतु लाने से पूर्व किसी परेशानी से बचने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी जिन्स गुणवत्ता मापदंडो के अनुकूल है। यदि अनुकूल नही हो तो कृषक स्वयं अपने स्तर पर ग्रेडिंग कर क्रय केन्द्र पर लावें।

नेफेड, जयपुर के पत्र क्रमांक 1839 दिनांक 04.03.2024 के द्वारा प्रेषित रबी 2024–25 में समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत चना–सरसों की खरीद हेतु निर्धारित गुणवत्ता मापदंड **परिशिष्ट–7 से 9** पर संलग्न है। **केवल मात्र निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप क्रय किया गया चना–सरसों ही योजनान्तर्गत स्वीकार किया जायेगा।**

क्रय केन्द्र पर गुणवत्ता मापदंडों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। समिति के मुख्य कार्यकारी/खरीद प्रभारी एफ.ए.क्यू. मापदण्डों के अनुरूप खरीद करने के लिये उत्तरदायी होगे।

कृषि जिन्स के गुणवत्ता मापदण्डों के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर निम्न कमेटी की बैठक आहूत कर जिन्स के एफ.ए.क्यू./नॉन एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता के विवाद का निस्तारण किया जावे :–

1. व्यवस्थापक क्रय–विक्रय सहकारी समिति /प्रभारी, क्रय केन्द्र अध्यक्ष
2. हल्का निरीक्षक (सहकारिता) सदस्य
3. सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति का सचिव या सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य
4. सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक कृषि विभाग सदस्य

गुणवत्ता का निर्धारण बहुमत से किया जायेगा। मत बराबर होने पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। कमेटी की कार्यवाही को लिपिबद्ध किया जावे और समिति रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जावे।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

गुणवत्ता मापदंडो के आधार पर कृषि जिन्स रिजेक्शन की स्थिति में किसान को रिजेक्शन के कारणों से अवगत कराते हुए सन्तुष्ट किया जावे एवं रिजेक्शन स्लिप एवं रजिस्टर पर संबंधित किसान के हस्ताक्षर करवाये जावे एवं केन्द्र पर संधारित किये जाने वाले रजिस्टर में रिजेक्शन के कारणों का भी उल्लेख किया जावे। रिजेक्शन रजिस्टर का प्रारूप निम्नानुसार है:-

क्रय-विक्रय सहकारी समिति..............केन्द्र का नाम....................

रिजेक्शन रजिस्टर

क्र. सं.	जिन्स का नाम	किसान का नाम पता	पंजीकरण संख्या	पंजीकृत मोबाईल नम्बर	तुलाई हेतु आवंटित दिनांक	जिन्स रिजेक्शन का आधार	किसान के हस्ताक्षर	केन्द्र प्रभारी हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

केन्द्र पर जिन्स के रिजेक्शन की स्थिति में कृषि जिन्स की गुणवत्ता के सबंध में पूर्ण रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जावे एवं क्रय की गई जिन्स का सैम्पल भी लिया जावे एवं सैम्पल की पर्ची में किसान का नाम, क्रय रजिस्टर में अंकित क्रमांक, दिनांक तथा किसान के ऑनलाईन पंजीकरण के क्रमांक एवं दिनांक तथा जिन्स में नमी की मात्रा का भी उल्लेख किया जावे।

सैम्पल – क्रय केन्द्र पर किसान का माल नॉन एफ.ए.क्यू. होने पर ही 500 ग्राम का सैम्पल लिया जावे। एफ.ए.क्यू. जिन्स का सैम्पल नहीं लिया जावें।

कृषक द्वारा लायी गयी जिन्स यदि नॉन एफ.ए.क्यू. है एवं यदि अतिरिक्त छनाई, ग्रेडिंग आदि की आवश्यकता है तो कृषक द्वारा यह कार्य स्वयं के स्तर से कराया जावेगा। क्रय केन्द्र पर किसी प्रकार की ग्रेडिंग मशीन आदि नहीं लगायी जावें।

कृषक द्वारा लायी गयी नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स का क्रय केन्द्र से तुरंत उठाव सुनिश्चित किया जावें। नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स क्रय केन्द्र पर किसी भी स्थिति में पड़ी नहीं रहे।

16. दलहन–तिलहन खरीद उपरान्त भण्डारगृह में कृषि जिन्स का जमा नहीं होना –

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन–तिलहन की खरीद ऑनलाइन प्रक्रियानुसार की जाती है। क्रय केन्द्रों द्वारा किसान से क्रय की गयी कृषि जिन्स भण्डारगृह में जमा नहीं करवाये जाने पर संबंधित समिति एवं केन्द्र प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होगें एवं ऐसी खरीद के भुगतान व अन्य व्यय की जिम्मेदारी संबंधित समिति की होगी। ऐसे प्रकरणों में विभाग द्वारा संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

16.1 कई बार ऐसा भी संज्ञान में आता है कि कृषक द्वारा केन्द्र पर जिन्स तुलवाने के उपरांत विक्रय पर्ची पोर्टल पर अपलोड होने से रह जाती है। समिति द्वारा एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स क्रय करने पर भण्डारगृह में तो जिन्स जमा हो जाता है परन्तु ऑनलाईन खरीद दर्ज नहीं होने के कारण क्रय मात्रा खरीद प्रगति में शामिल नहीं हो पाती, वहीं दूसरी ओर कृषक को राजफैड़ द्वारा ऑनलाईन भुगतान करना भी संभव नहीं होता है। अतः सभी खरीद केन्द्रों का दायित्व है कि कृषक से क्रय किये गये जिन्स की विक्रय पर्ची अनुसार अनिवार्य रूप से पोर्टल पर क्रय मात्रा पूर्ण विवरण सहित दर्ज की जावें। भण्डारगृह में जिन्स जमा होने के उपरांत ऑनलाईन खरीद दर्ज नहीं होने की स्थिति में नेफेड से जिन्स वापिस प्राप्त करना एवं ऐसे किसान को भुगतान करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः यह स्थिति उत्पन्न न हो, सभी केन्द्र प्रभारी सुनिश्चित करें ताकि कृषकों को भुगतान में असुविधा न हो।

17. बारदाना व्यवस्था –

17.1 बारदाने की आपूर्ति राजफैड द्वारा की जावेगी। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा **अनिवार्य रूप से** प्राप्त बारदाना एवं वितरीत बारदाने का विवरण समितिवार पोर्टल पर दर्ज किया जावेगा। राजफैड के पत्र क्रमांक कृषि/3700–3709 दिनांक 01.03.2024 के अनुसार वर्तमान में सरसों का 16.27 लाख नग ए.टी. बारदाना एवं

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

चने का 19.75 लाख नग बी.टी. बारदाना कुल 36.02 लाख नग बारदाना उपलब्ध है, तथा राजफैड द्वारा सरसों के 51.59 लाख नग तथा चने की 19.60 लाख नग की आपूर्ति हेतु नेफैड, कोलकत्ता को अग्रिम राशि भिजवायी जा चुकी है। नेफैड कोलकत्ता से बारदाने की आपूर्ति आरम्भ हो चुकी है। उक्त बारदाना 3.39 लाख मै. टन सरसों एवं 1.97 लाख मैं. टन चना भर्ती के लिए पर्याप्त है। **नेफेड से प्राप्त होने वाले बारदाने का क्रय केन्द्र/भण्डारगृह पर सुरक्षित रूप से भण्डारण करवाया जाये ताकि केन्द्र पर खरीद के दौरान बारदाने का समुचित रूप से उपयोग किया जा सके। बारदाने की सुरक्षा का दायित्व संबंधित समिति का होगा।**

भण्डारगृह में उपलब्ध बारदाने को संबंधित केन्द्रों पर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जावें। केन्द्र पर जिन्सवार पंजीयन एवं खरीद को ध्यान में रखते हुए बारदाने की पाक्षिक मांग से अविलम्ब अवगत कराया जावें ताकि समय पर बारदाने की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा सके। बारदाने की पाक्षिक आवश्यकता का आंकलन कर राजफैड को 15 दिवस पूर्व अवगत कराया जावें, क्योंकि नेफैड, कोलकत्ता से बारदाना प्राप्त होने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है।

अतः खरीद आरंभ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंवे कि जिन खरीद केन्द्रों पर बारदाने की आवश्यकता है वहां आपके क्षेत्र की निकटतम समिति/भण्डारगृह में उपलब्ध बारदाने में से आवश्यकतानुसार बारदाना भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही भण्डारगृह में उपलब्ध नये बारदाने स्टॉक को प्राथमिकता से उठवाने का कष्ट करें।

17.2 क्रय-विक्रय सहकारी समितियॉ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड स्तर पर बारदाने का स्टॉक रजिस्टर संधारित किया जावेगा।

17.3 बारदाने की सुरक्षा का दायित्व संबंधित समिति/केन्द्र का होगा। समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन-तिलहन की खरीद हेतु केन्द्र पर प्राप्त बारदाने के उपयोग, आगजनी से सुरक्षा एवं भण्डारण आदि की सम्पूर्ण सुरक्षा का दायित्व संबंधित समिति का होगा। बारदाना उपयोग के उपरांत यदि कोई बारदाना शेष रहता है तो उसके सुरक्षित भण्डारण का दायित्व भी संबंधित समिति का होगा। बारदाने की गुणवत्ता प्रभावित न हो इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जावें ताकि शेष रहे बारदाने का आगामी खरीद में सुगमता से उपयोग किया जा सके।

17.4 बारदाने में गुणवत्ता की शिकायत

नेफैड, कोलकत्ता के पत्र दिनांक 10.02.2024 **परिशिष्ट-10** के अनुसार बारदाने की गुणवत्ता में शिकायत होने की स्थिति में अविलम्ब समिति व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी द्वारा खराब बारदाने की फोटाग्राफ सहित तत्काल अवगत करावें ताकि नेफैड, कोलकत्ता द्वारा केन्द्र पर जॉच हेतु सर्वेयर भिजवाया जा सकें। ऐसे बारदाने का जिन्स की भर्ती में उपयोग नहीं किया जाना है।

बारदाने में गुणवत्ता सम्बंधी शिकायत होने में बारदाना प्राप्ति के 10 दिवस में अवगत कराया जावें। नेफैड, कोलकत्ता को 10 दिवस की अवधि के उपरांत प्राप्त होने वाली शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जावेगी। अतः बारदाने में गुणवत्ता की शिकायत में बारदाना प्राप्त होते ही उसी दिवस अवगत करावे ताकि नेफैड, कोलकत्ता को 10 दिवस की अवधि पर उपलब्ध करवाया जा सकें।

बारदाने की गुणवत्ता, शार्ट साईज आदि की शिकायत होने पर सबंधित क्षेत्रीय कार्यालय राजफैड को समिति द्वारा सूचित करते हुए पंचनामा तैयार किया जावेगा। पंचनामा रिपोर्ट निम्न कमेटी द्वारा तैयार की जावेगी :-

1. व्यवस्थापक, क्रय-विक्रय सहकारी समिति
2. क्रय केन्द्र प्रभारी
3. मण्डी समिति का प्रतिनिधि
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड़ का प्रतिनिधि
5. केन्द्र पर पंजीकृत किसानों मे से उपस्थिति एक किसान

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

18. मार्का –

बोरियों पर **गहरा लाल रंग** का मार्का निम्नानुसार लगाया जावे :–

1. नेफेड
2. केन्द्र का नाम ....
3. **जिन्स – चना–सरसों खरीफ 2024–25**
4. **वजन – चना–सरसों 50 किलो नेट**
5. क्रय रजिस्टर में अंकित क्रमांक .... दिनांक ....
6. किसान का ऑनलाइन पंजीकरण क्रमांक .... दिनांक ....

19. बोरियों में जिन्स की भर्ती एवं सिलाई –

भर्ती के समय बारदाने में मानक (स्टेण्डर्ड) भर्ती का विशेष ध्यान रखा जावे। बारदाने में स्टेण्डर्ड भर्ती मूंग, उड़द, सोयाबीन हेतु प्रति कट्टा 50 किलो तथा मूंगफली हेतु 35 किलो का ध्यान रखा जावे। स्टेण्डर्ड भर्ती से कम होने के कारण वजन पूर्ति हेतु अतिरिक्त बारदाना उपयोग में लिया जाता है तो बारदाने की कीमत समिति से वसूल योग्य होगी। बारदाने में अधिक भर्ती होने का लाभ नेफैड़ द्वारा देय नहीं है एवं स्टैण्डर्ड भर्ती से कम होने पर समिति उत्तदायी होगी, वजन अन्तर की राशि समिति से वसूली योग्य होगी। नेफेड के पत्र दिनांक 15.03.2023 परिशिष्ट–11 के अनुसार बोरियों की सिलाई अनिवार्य रूप से मशीन से की जावे। बोरियों की हाथ से सिलाई मान्य नहीं होगी।

20. क्यू.आर. कोड –

राजफैड़ द्वारा क्यू.आर. कोड व्यवस्था पर नेफेड को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है। बारदाना आपूर्ति व्यवस्था की भांति क्यू.आर. कोड की आपूर्ति नेफैड़ के माध्यम से करवाई जावेगी। अतः केन्द्रवार क्यू.आर. कोड की आवश्यकता से महाप्रबन्धक(मा.स.वि.) को अवगत कराया जावे। नेफैड़ द्वारा क्यू.आर. कोड बाबत निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया से पृथक से अवगत करा दिया जावेगा। नेफेड से निर्देश प्राप्त होने तक बिन्दु क्रमांक 18 के अनुसार मार्का लगाने की व्यवस्था की जावेगी।

21. इलेक्ट्रोनिक तुलाई मशीन, मोईश्चर मीटर एवं छाया पानी –

सभी क्रय केन्द्रों पर चना–सरसों तुलाई इलेक्ट्रोनिक तुलाई मशीनों के माध्यम से सुनिश्चित की जावे। **खरीद प्रारम्भ होने से पूर्व कांटे–बांट का प्रमाणीकरण आवश्यक रूप से कराया जावे।** समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद के सम्बन्ध में क्रय केन्द्रों पर छाया पानी, तिरपाल, रस्सी, खूंटे आदि की व्यवस्था मण्डी प्रागण में खरीद सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित कराने के लिए सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराई जावें।

राजफैड़ द्वारा निदेशक, कृषि विपणन को पत्र कमांक 9875–9935 दिनांक 21.02.2024, जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की हुई है, के द्वारा खरीद केन्द्रों पर आधारभूत व्यवस्था यथा छाया–पानी, बिजली, त्रिपाल, ग्रेडिंग मशीन आदि की व्यवस्थायें कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया हुआ है। अतः संबंधित मण्डी समितयों के माध्यम से केन्द्रों पर आवश्यक आधारभूत व्यवस्थायें सुनिश्चित करावें।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

मण्डी प्रांगण से बाहर समर्थन मूल्य केन्द्रों पर मण्डी द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी जावेगी। अतः ऐसे केन्द्रों पर अपेक्षित व्यवस्थाएँ संबंधित ग्रा.से.स.स. द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। **मोईश्चर मीटर राजफैड द्वारा पूर्व में समितियों को उपलब्ध करवाये हुए है जिन्हें जॉच-परख कर दुरस्त भी लेवें। आवश्यकता हो तो समितियाँ अपने स्तर पर मोईश्चर मीटर क्रय कर सकती है।**

22. क्रय जिन्स की सुरक्षा व्यवस्था –

क्रय केन्द्र पर क्रय जिन्स की सुरक्षा प्रबन्ध समिति द्वारा सुनिश्चित किये जावे ताकि क्रय केन्द्र से कृषि जिन्स के चोरी व स्टॉक कम नहीं हो। इस बाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समिति द्वारा प्रतिदिन डे-क्लोज कर क्रय जिन्स की कुल मात्रा, भण्डारण मात्रा एवं पिड पर शेष रहे स्टॉक का पजेशन समिति के पास होने के कोलम पर पोर्टल में टिक करेगे एवं प्रतिदिन रिपोर्ट उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने की सुनिश्चितता करेगे।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड द्वारा साप्ताहिक रूप से समितिवार क्रय जिन्स की सूचना की पुष्टि करते हुए मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।

सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार समय-समय पर स्टॉक के निरीक्षण एवं सत्यापन करेगे एवं कोई अनियमितता उजागर होती है तो सम्बन्धित समिति को आवश्यक निर्देश देते हुये राजफैड़ मुख्यालय एवं विभाग को अवगत कराया जायेगा।

23. हैण्डलिंग परिवहन व्यवस्था –

समर्थन मूल्य पर चना एवं सरसों की खरीद हेतु राज्य के विभिन्न क्रय केन्द्रों के लिए पत्र निविदा/लेखा/2024-25/5166-5275 दिनांक 25.01.2024, लेखा/2024-25/5303-5355 दिनांक 31.01.2024 तथा लेखा/2024-25/6352-6401 दिनांक 23.02.2024 द्वारा पत्र से निर्देश जारी किये हुए है। **(परिशिष्ट-12 से 14) उपरोक्त निर्देशों के क्रम में पुनः पाबन्द किया जाता है कि वित्तीय नियमों में किसी भी निविदा (टेण्डर) पर निर्णय वित्तीय शर्तो एवं नियमों के प्रकाश में अंतिम निर्णय लिये जाने की शक्ति व दायित्व संबंधित उपापन समिति का ही है और वित्तीय नियमों की यह मंशा है कि राजकीय संव्यवहारों में भाग लेने वाली फर्मो के बाबत किसी भी प्रकार का विवाद/संदेह अथवा भ्रांति न हो, इसी को रेखांकित करते हुए दिशा-निर्देशों व निविदा की अन्य शर्त संख्या 11 में वर्णित नियमों के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था यह सुनिश्चित कर लेवें कि भाग लेने वाली फर्मे किसी भी रूप में लेशमात्र भी विवादित नहीं हो और न ही निविदादाता अकारण राजफैड़ के विरूद्ध पूर्व में अथवा वर्तमान में किसी न्यायालय व अन्य प्राधिकारी के समक्ष राजफैड़ के प्रतिपक्ष (विरोध) में हो। अतः पुनः पाबन्द किया जाता है कि हैण्डलिंग एवं परिवहन प्रक्रिया के संबंध में वर्ष 2024-25 (रबी व खरीफ) में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना अक्षरशः व अव्यक्तरूप से किया जाना सुनिश्चित करावें।**

कृषि जिन्स क्रय प्रक्रिया में संबंधित मण्डी की हैण्डलिंग कार्य की दर आधार दर रखी जा रही है। राजस्थान राज्य में स्थापित सभी राजकीय कृषि मण्डी समितियों की वर्तमान में प्रचलित नवीनतम हैण्डलिंग दरों की प्रति संबंधित कृषि उपज मण्डी से प्राप्त की जावें। इस हेतु कृषि विपणन निदेशालय को प्रेषित पत्र क्रमांक लेखा/2024-25/5356-5405 दिनांक 31.01.2024 तथा पत्र कमांक लेखा/2024-25/5773-5822 दिनांक

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

08.02.2024 की प्रति संदर्भ हेतु परिशिष्ट–15 एवं 16 पर संलग्न है। परिवहन टेण्डर प्रक्रिया के सन्दर्भ में यदि किसी प्रकार की स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), राजफैड़, जयपुर से फोन नम्बर 0141–2740418 या ई–मेल **rajfed.fin_ac@yahoo.com.in** पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

1. हैण्डलिग एवं परिवहन के बिल सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड़ द्वारा समितिवार सकंलित कर पाक्षिक रूप से भेजे जावे, ताकि नेफैड़ से पुर्नभरण समय पर प्राप्त कर हैण्डलिग एवं परिवहन का समितियों को भुगतान किया जा सके। बिल के अभाव में समितियों को पुर्नभरण देय नहीं होगा।

2. नियमानुसार ई. वे. बिल जारी करवाया जाना भी सुनिश्चित करे।

24. हैण्डलिंग एवं परिवहन बिलों का प्रेषण एवं पुर्नभरण –

1. हैण्डलिंग एवं परिवहन के बिल नेफैड़ द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं प्रारूप अनुसार समितियों द्वारा बनाये जाकर सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड़ को प्रेषित किये जावे। समिति द्वारा प्रथम बिल के साथ निविदा कमेटी की दर स्वीकृत करने सम्बन्धी अनुशंषा की प्रति एवं समिति द्वारा जारी कार्य आदेश की प्रति बिल के साथ संलग्न कर प्रेषित की जावे।

2. क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बिलों के प्रमाणकों/सम्बन्धित दस्तावेजों की जॉच कर राजफैड़ क्षेत्रीय कार्यालय के बिल के साथ भिजवाये जायें।

3. बिना बिलों के समितियों को हैण्डलिंग एवं परिवहन बिलों का भुगतान सम्भव नहीं होगा।

4. बिल पाक्षिक रूप से भेजे जावें।

5. क्षेत्रीय अधिकारी, बिलों को प्रधान कार्यालय भिजवानें से पूर्व क्रय–विक्रय समिति को हैण्डलिंग एवं परिवहनकर्ता संवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल बिल की प्रमाणित प्रति सभी समितियों से प्राप्त कर संलग्न करेंगें। तथा क्रय–विक्रय सहकारी समिति का प्रमाण पत्र "संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिल की न्यूनतम दर एवं दूरी से जॉच कर ली गयी है तथा जॉच उपरांत सही पाया गया" भी प्राप्त कर संलग्न करेंगें।

6. **भुगतान प्रक्रिया** – "सदस्य समितियों व संवेदकों को हैण्डलिंग व परिवहन क्लेम्स का भुगतान राजफैड़ द्वारा जारी हैण्डलिंग एवं परिवहन के दिशा–निर्देशों, निविदा शर्तों व प्रावधान अनुसार नेफेड से पुर्नभरण प्राप्त होने पर तदानुसार ही किया जावेगा।"

7. खरीद, हैण्डलिंग, परिवहन एवं अन्य खर्चों के संपूर्ण बिल खरीद समाप्त होने के पश्चात् 15 दिवस में समितियों द्वारा राजफैड़ क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किये जावे। इसके पश्चात् प्रेषित बिल स्वीकार नहीं किये जावेगें।

8. समिति से वसूल योग्य राशि का समायोजन उसको देय राशि में से किया जावेगा।

25. भंडारण –

नेफेड द्वारा जिन्सों के भण्डारण हेतु आर.एस.डब्ल्यू.सी./सी.डब्ल्यू.सी. के भण्डार गृहों में अग्रिम आरक्षण नहीं करवाने के निर्देश दिये हुए है। नेफेड द्वारा वास्तविक आधार पर भण्डारित जिन्सों के भण्डारण शुल्क का भुगतान किया जावेगा। इस संबंध में राजफैड़ के पत्र क्रमांक कृषि आदान/2020–21/5502–5514 दिनांक 27.10.2020 की पालना सुनिश्चित की जावे।

क्रय जिन्स का भंडारण आवश्यक रूप से अधिकतम तीन दिवस में कराया जावे। समिति द्वारा क्रय जिन्स का परिवहन **राजफैड़ मुख्यालय द्वारा दिये गये वेयरहाउस मूवमेंट प्लान के अनुसार ही आवंटित**

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

भण्डारगृहों (आर.एस.डब्लू.सी/सी.डब्लू.सी.) में निर्धारित प्राथमिकता क्रम में करवाया जाना है। सभी क्षेत्रीय कार्यालय क्रय केन्द्रों से भण्डारगृह की दूरी के प्राथमिकता क्रम में मूवमेन्ट प्लान अविलम्ब उपलब्ध करावें। क्षेत्रीय कार्यालयों से मूवमेन्ट प्लान प्राप्त होने पर अनुमोदित मूवमेन्ट प्लान पृथक से भिजवाया जावेगा। अनुमोदित मूवमेंट प्लान से पृथक भण्डारगृह में भण्डारण अनुमत नहीं होगा। मूवमेंट प्लान में बिना राजफैड़ की स्वीकृति के संशोधन नहीं किया जावेगा तथा बिना स्वीकृति परिवर्तन का भुगतान राजफैड़ द्वारा नहीं किया जायेगा एवं संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी। यदि खरीद के दौरान यदि कोई भण्डारगृह उपलब्ध होता है तो उसमें जिन्स भण्डारण की स्वीकृति उपरांत ही भण्डारण करवाया जावें। मूवमेंट प्लान हेतु महाप्रबन्धक (मा.स.वि.) से दूरभाष पर 0141-2740364 ई-मेल **rajfed_hrd@yahoo.com** पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

समिति द्वारा भंडारण हेतु जिन्स ट्रक में लोड किया जाकर त्रिपाल आदि से पूर्णतः कवर(cover) करवाया जाकर सील किया जावे। समिति द्वारा ट्रक में लोडिंग का कार्य दिन में कराया जावें एवं लोडिंग के समय समिति द्वारा अधिकृत कार्मिक की उपस्थिति सुनिश्चित की जावें। ट्रक में स्टेण्डर्ड भर्ती के कट्टों की ही लोडिंग(loading) की जावे। ट्रक को वेयरहाउस रवाना करने से पूर्व वेयरहाउस पर खाली होने की सुनिश्चितता कर ली जावें, ताकि वेयरहाउस पर अनावश्यक ट्रकों की लाईन न लगे। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यह सुनिश्चित करे। भंडारण हेतु आर.एस.डब्ल्यू.सी./सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया यदि कोई हो तो उनके स्तर से पृथक से जारी की जावेगी।

भंडारगृहों पर पहुँची गाडी को अधिकतम 48 घंटे में खाली कराने की जिम्मेदारी संबंधित वेयरहाउस प्रबन्धक की होगी। ऐसा नहीं होने पर जिम्मेवारी तय की जावे।

नेफैड, जयपुर के पत्र कमांक 1320 दिनांक 07.12.2023 जिसकी प्रति राजफैड के पत्र दिनांक 8059-8119 दिनांक 13.12.2023 परिशिष्ट-17 द्वारा भेजी गई, के अनुसार आरएसडब्ल्यूसी भण्डारगृहों पर भी खरीफ 2023 में भी सर्वेयर नियुक्त नहीं किये गये थे। अतः सभी खरीद केन्द्र भली-भॉति सुनिश्चित कर लेवे कि भण्डारण हेतु भिजवाये जाने वाला दलहन-तिलहन एफएक्यू श्रेणी का ही है। भण्डारण के दौरान यदि कोई जिन्स नॉन एफएक्यू पाया जाता है, तो जिन्स को सम्बंधित किसान को भुगतान/जिन्स वापस लोटाने का दायित्व सम्बंधित समिति का होगा अर्थात नॉन एफएक्यू श्रेणी जिन्स का भण्डारण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना है।

26. भंडारण रसीदें -

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम से ई डब्लू.आर की सॉफ्टकॉपी सीधे राजफैड़ को प्राप्त हो रही है। समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये जिन्स की भण्डारण रसीदों की हार्डकॉपी सभी क्रय केन्द्र बिना रिमार्क की भण्डारगृह से प्राप्त कर खरीद दिनांक से तीन दिवस में आवश्यक रूप से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड़ को भिजवाना सुनिश्चित करे। सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ उक्त व्यवस्था का सतत् पर्यवेक्षण करेगे। विलम्ब से प्राप्त भण्डारण रसीदें स्वीकार नहीं की जायेगी। सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय दो दिवस में प्राप्त भण्डारण रसीदें मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगे। विलम्ब से प्राप्त होने वाली भण्डारण रसीदें नेफैड़ द्वारा स्वीकार नही की जावेगी। मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की भंडारण रसीदें मूल कीमत +10 प्रतिशत खर्चो सहित नेफेड द्वारा क्रय-विक्रय सहकारी

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076.
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

समिति के नाम .... से बनवाकर प्राप्त की जावे, जिनमें किसी प्रकार की कटिंग स्वीकार्य नहीं होगी।

भण्डारण रसीदों पर बोरियों की संख्या, वजन नमी की मात्रा, गोदाम का नाम, स्टैक नम्बर एवं क्रय केन्द्र का नाम भी स्पष्ट अंकन होना अनिवार्य है। भण्डारण रसीदों के साथ नेफेड द्वारा भण्डारगृह पर नियुक्त सर्वेयर से सर्वेयर रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न की जानी है। **मूल भण्डारण रसीदों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त फोटोप्रति सर्वेयर रिपोर्ट सहित भी संलग्न कर भिजवायी जानी है।** **भंडारण रसीदें भिजवाने की जिम्मेदारी सबंधित समिति/केन्द्र की होगी। खरीद समाप्त होने के 20 दिवस में सम्पूर्ण भण्डारण रसीदें बिना रिमार्क की प्रेषित की जावे। इसके बाद भण्डारण रसीदें स्वीकार नहीं की जावेगी।** वेयरहाउस प्रबन्धक द्वारा उसी दिन वेयरहाउस रसीद की हार्ड कॉपी जारी करना अनिवार्य होगा। आर.एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा समस्त वेयरहाउस रसीदें ऑनलाईन सॉफ्टवेयर से ही जारी की जावे। **पूर्व में ऐसा देखने में आया है कि वेयरहाउस मैनेजर्स द्वारा सॉफ्टवेयर से डब्ल्यूआर जारी न कर केवल ऑफलाईन जारी कर दी थी, जिसके कारण ऑनलाईन एवं ऑफलाईन डब्ल्यूआर में अन्तर उत्पन्न हो गया था अतः समस्त डब्ल्यूआर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही जनरेट की जावें। वेयरहाउस मैनेजर्स द्वारा कतिपय प्रकरणों में डब्ल्यूआर में प्रविष्टियॉ गलत हो जाने पर हार्डकॉपी में दुरूस्ती कर दी गयी परन्तु सॉफ्टवेयर में नहीं की गयी जिससे अन्तर उत्पन्न हो जाता है अतः दुरूस्ती ऑनलाईन भी की जावें।**

आर.एस.डब्ल्यू.सी. भण्डारगृहों द्वारा जारी भण्डारण रसीदों के अनुरूप ही ई-डब्ल्यूआर भी संबधित भण्डारगृह से तत्काल जारी करायी जावें ताकि नेफेड से पुनर्भरण प्राप्त करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

भण्डारण रसीदें 2 प्रति में निम्न प्रारूप में मुख्यालय को समितिवार संकलित कर भिजवायी जाये :-

एक्सेल शीट (सॉफ्टकॉपी english(Times New Roman Font)) का प्रारूप

S.no.	Samiti	Centre	Warehouse	WHR no.	Date	Katta	Weight (Qtl.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Total				-	-
		G. Total				-	-
		Previous Total of WR's				-	-
		Progressive Total				-	-

भण्डारण रसीदें पूर्ण सावधानी से जॉच उपरांत दो प्रतियों में एवं मूल पत्र की एक्सेल शीट (सॉफ्टकॉपी english) वाणिज्य शाखा की ई-मेल आई.डी. rajfed.mktg@yahoo.com पर **Times New Roman Font** में प्रेषित की जावें।

नोट – समिति का नाम, केन्द्र का नाम, भण्डारगृह का नाम प्रेषित किये जाने वाले पत्र में **english** में ही अंकित किया जावें । भण्डारण रसीदें जिन्सवार, समितिवार अलग-अलग योग लगाकर ही प्रेषित की जावे।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

27. भण्डारगृह पर रिजेक्शन

वेयर हाउस में किसी प्रकार के रिजेक्शन में आवश्यक रूप से सर्वेयर से रिजेक्शन रिपोर्ट तैयार करवाई जावे जिस पर वेयर हाउस मैनेजर के हस्ताक्षर हो। भंडारगृहों पर नेफेड द्वारा नियुक्त सर्वेयरों द्वारा कृषि जिन्स स्टॉक अस्वीकृत करने के कारण पूर्व में गुणवत्ता संबंधी विवाद उत्पन्न हुए थे इसे ध्यान में रखते हुए **प्रमुख शासन सचिव सहकारिता के पत्र क्रमांक 459–609 दिनांक 06.04.18 संलग्न (परिशिष्ट–18) के द्वारा भंडारगृहों पर एफएक्यू श्रेणी जिन्स के सबंध मे निम्नानुसार गठन किया हुआ है:–**

1. आरएसडब्लूसी/सीडब्लूसी का प्रतिनिधि
2. नेफेड का प्रतिनिधि
3. कृषि विभाग का कृषि पर्यवेक्षक (जहाँ वेयरहाउस स्थित है उस जिले का)
4. सबंधित व्यवस्थापक– सदस्य सचिव

1. दिनांक 27.02.2020 एवं दिनांक 17.03.2021 को मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि **नेफैड़ द्वारा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के गोदामों पर रेन्डम आधार पर सर्वेयर लगाये जायेगे। गुणवत्ता विवाद की स्थिति में भण्डारगृह स्तर पर गठित कमेटी का निर्णय स्वीकार होगा। यदि उक्त कमेटी एक मत से निर्णय नहीं कर पाती है, तो जिन्स की गुणवत्ता के सम्बन्ध में नेफैड़ का निर्णय अंतिम रूप से स्वीकार होगा एवं उसी अनुरूप जिन्स जमा करने की कार्यवाही की जावेगी।**
2. Fair Average Quality (FAQ) का ही दलहन–तिलहन भण्डारगृह में भण्डारित करवाया जाना है। Non Fair Average Quality (Non-FAQ) का दलहन–तिलहन किसी भी सूरत में भण्डारित नहीं करवाया जावें। **Non Fair Average Quality (Non-FAQ) के दलहन–तिलहन के लिए समिति स्वयं उत्तरदायी होगी। संबंधित कृषक को भुगतान या जिन्स लौटाने का दायित्व तथा हानि का दायित्व भी संबंधित समिति का होगा।**
3. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता के पत्र क्रमांक 459–609 दिनांक 06.04.18 संलग्न (परिशिष्ट–18) द्वारा गठित कमेटी में **सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक 12957–13052 दिनांक 29.03.2022 (परिशिष्ट–19) द्वारा कमेटी का पुर्नगठन किया गया है।** गठित कमेटी द्वारा क्रय जिन्स की गुणवत्ता पर विवाद होने पर **भण्डारण के दौरान निम्न प्रक्रिया आवश्यक रूप से अपनायी जावें :–**

1. सदस्य सचिव द्वारा कमेटी की बैठक का आयोजन किया जावेगा।
2. बैठक आयोजन के क्रम में नोटिस जारी किया जावेगा जिसमें तिथि, समय व विवाद विवरण का उल्लेख होगा।
3. बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4. वेयरहाउस व नेफेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ही प्रतिनिधि नामित किये जा सकेंगे।
5. गुणवत्ता के क्रम में बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. क्रय कृषि जिन्स गुणवत्तायुक्त नहीं पाये जाने पर कारण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
7. वेयरहाउस में गुणवत्तायुक्त कृषि जिन्स का ही भण्डारण किया जा सकेगा।
8. गठित कमेटी अन्यथा स्थिति यथा भंग या संशोधन न होने की स्थिति में यथावत कार्य करती रहेगी।
9. क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता के क्रम में सदस्य कमेटी के मध्य मतांतर होने पर सभी सदस्यों के अभिमत कार्यवाही में अंकित किये जावे।
10. कमेटी की बैठक में सम्पन्न कार्यवाही से नेफेड व राजफैड़ को तत्काल अवगत कराया जावे।
11. कमेटी आवश्यक समझे तो संबंधित क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य को मताधिकार नहीं होगा।

वेयरहाउस में किसी भी प्रकार के रिजेक्शन में आवश्यक रूप से सर्वेयर से रिजेक्शन रिपोर्ट तैयार करवायी जावें तथा उस पर वेयरहाउस मैनेजर के हस्ताक्षर हो ताकि कृषि जिन्स भण्डारण कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रखी जा सके।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

28. नॉन एफ.ए.क्यू. स्टॉक का निस्तारण

समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स क्रय किया जाना मान्य नहीं होने के कारण राजफैड़/नेफैड द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जावेगा इस हेतु सम्बन्धित समिति व्यवस्थापक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगें। नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी के जिन्स का संबंधित किसान को भुगतान अथवा जिन्स वापिस लौटाने का दायित्व संबंधित समिति का होगा। नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी के जिन्स के निस्तारण में होने वाली हानि सम्बन्धित समिति से वसूली योग्य होगी। राजफैड़ द्वारा नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स का भुगतान नहीं किया जावेगा।

29. मण्डी टैक्स एवं कृषक कल्याण सेस

राज्य सरकार द्वारा राजफैड के माध्यम से या अन्य अधिकृत एजेन्सी के माध्यम से चना/सरसों की खरीद समर्थन मूल्य पर किये जाने पर खरीफ सीजन वर्ष 2023-24 में खरीद अवधि तक के लिये उक्त खरीद पर राज्य सरकार की मण्डी समितियों को देय मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की गई है। शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 08.03.24 की प्रति संदर्भ हेतु **परिशिष्ट-20** पर संलग्न है।

30. जी.एस.टी.

चना पर जी.एस.टी लागू नहीं है। सरसों पर नियमानुसार जी.एस.टी. देय है, जिसका नेफेड द्वारा पुर्नभरण किया जावेगा। चना/सरसों के खरीद के बिल प्रत्येक माह भिजवाना सुनिश्चित करावे। समितियॉं गत माह की **जी.एस.टी. आर-1 रिटर्न की प्रति क्लेम सहित** आगामी माह की 7 तारीख तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड़ को भिजवाना सुनिश्चित करेगी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़ **जी.एस.टी. आर-1** रिटर्न की प्रतियाँ समितिवार संकलित कर राजफैड़ मुख्यालय को आगामी माह की 10 तारीख तक प्रेषित करेगी।

जी.एस.टी. आर-1 रिटर्न प्रेषित न करने की स्थिति जी.एस.टी. का भुगतान बाधित होने पर सम्बन्धित समिति उत्तरदायी होगी। समितियों के द्वारा जी.एस.टी. आर.-1 निर्धारित समयावधि में फाइल किया जावे, उसके अनुरूप ही जी.एस.टी. का पुर्नभरण किया जावेगा। क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड़ द्वारा जी.एस.टी. भुगतान के संकलित प्रस्ताव प्रेषित करते समय जी.एस.टी.आर-1 की प्रति भी प्रेषित की जावेगी। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जी. एस.टी. के क्लेम मय जी.एस.टी.आर-1 के संबंधित समितियों से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रेषित किये जावें। 10 तारीख के पश्चात् प्राप्त क्लेम स्वीकार नहीं होगें एवं यदि जी.एस.टी. पेनल्टी लगती है, तो इसके लिए संबंधित समिति जिम्मेवार होगी। क्षेत्रीय अधिकारी यह भी सुनिश्चित करे कि पृथक-पृथक समितियों के क्लेम प्रेषित न कर क्षेत्र की संबंधित समितियों के क्लेम एक साथ प्रेषित किये जावे।

31. किसानों को भुगतान -

खरीद प्रक्रिया के अन्तर्गत कृषकों से खरीद किये गये जिन्सों की राशि भुगतान राज्य सरकार के निर्देशानुसार सीधे ही उनके जन-आधार कार्ड में सीडेड बैंक खातों में ऑनलाईन किया जावेगा। भुगतान प्रक्रिया निम्नानुसार निष्पादित की जायेगी :-

1. कृषक को एफ.ए.क्यू. श्रेणी जिन्स का भुगतान समिति द्वारा वेयरहाउस में जमा जिन्स के आधार पर किया जायेगा। अतः समिति क्रय जिन्स का भण्डारण अधिकतम तीन दिवस में किया जाना सुनिश्चित करे।
2. क्रय केन्द्र प्रभारी प्रत्येक दिवस **खरीद समाप्त होने के पश्चात डे-क्लोज (गिरदावरी-टिकिंग)** करेगें तथा खरीद का रिकॉर्ड (गिरदावरी एवं खरीद पर्ची) से मिलान सुनिश्चित करते हुये पोर्टल पर अपडेट करेगें।
3. व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा क्रय जिन्स के स्टॉक की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट जिसमें कुल खरीद, भण्डारगृह में जमा, पिड पर शेष स्टॉक समिति के पजेशन में होने आदि का विवरण संलग्न (परिशिष्ट-21) के अनुसार प्रमाण-पत्र पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज करना होगा एवं साप्ताहिक रूप से उक्त सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़ एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं को भी देनी होगी।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

4. खरीद रिकॉर्ड से मिलान पश्चात् भुगतान उसी दिन ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक रूप से अनुमोदित (अप्रूव) किया जायेगा।
5. क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा अनुमोदित खरीद को सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड द्वारा चेक कर डब्ल्यूआर तक की राशि का भुगतान अनुमोदित कर आईटी सैल प्रधान कार्यालय को भेजा जायेगा।
6. क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त खरीद की ऑनलाईन बैंक वाईज जनरेटेड शीट्स को ऑनलाईन PFMS में जाँच कराई जावेगी।
7. PFMS में जॉच उपरान्त सही पाये गये कृषक के बैंक खाते में सीधे ऑनलाईन भुगतान किया जावेगा।
8. लीड बैंक द्वारा जिन किसानों की असफल भुगतान (फेलीयर पेमैन्ट) रिपोर्ट किये जाते है अथवा जिन किसानों की गलत खातों में राशि हस्तान्तरित हो जाती हैं उनकी मॉनेटरिंग एवं सम्बन्धित क्रय-विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से किसानों के भुगतान सम्बन्धी समस्त सूचना आई.टी. सेल द्वारा लेखा शाखा से समन्वय स्थापित करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी।
9. **समर्थन मूल्य पर खरीद के दौरान पंजीयन कराते समय किसान के आधार लिंक बैंक खाते की पासबुक से मिलान कर सही खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर अंकित करवाया जाना संबंधित समिति व्यवस्थापक सुनिश्चित करें। किसान का खाता संख्या गलत होने पर भुगतान नहीं होने की स्थिति में किसान को देय राशि सम्बन्धित क्रय विक्रय सहकारी समिति को भेजी जावेगी। किसान सम्बन्धित क्रय विक्रय सहकारी समिति पर सम्पर्क कर भुगतान प्राप्त कर सकेगा। इस हेतु किसान के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर मैसेज भी दिया जायेगा।**
10. क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा दैनिक रूप से डेक्लोज, खरीद का भुगतान एवं स्टॉक प्रमाण-पत्र अपडेट करने सम्बन्धित सूचना का पर्यवेक्षण सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा किया जावेगा।
11. **उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रतिदिन डे-क्लोज करना (गिरदावरी-टिकिंग) सुनिश्चित करेगें। डे क्लोज की भॉति किसानों की मूल गिरदावरी प्राप्त होने एवं सबधित समस्त रिकॉर्ड समिति में सुरक्षित होने के आशय की ऑनलाईन पुष्टि भी की जावेगी।**

32. कानून व्यवस्था -

क्रय केन्द्र पर पारदर्शिता एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु सी.सी. टीवी कैमरे लगाये जावे। क्रय केन्द्र पर आवश्यकतानुसार विडियोग्राफी कराई जा सकती है। कैमरे व विडियोग्राफी पर होने वाला व्यय संबंधित समिति द्वारा वहन किया जावेगा। समर्थन मूल्य खरीद के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा खरीद कार्य की प्रभावी मॉनेटरिंग एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिये सम्बन्धित जिला प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क रखा जावे। जिला कलक्टर से सम्पर्क कर समय-समय पर प्रगति से अवगत करावे। **खरीद केन्द्र स्तर पर समर्थन मूल्य पर खरीद में आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग अनु-3 द्वारा आज्ञा क्रमांक 6(13) अनु-3/2018 दिनांक 17.04.2018 संलग्न परिशिष्ट-22 के अनुसार खरीद केन्द्र समन्वय एवं निगरानी समिति का निम्नानुसार गठन किया हुआ है:-**

1. सबंधित उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2. जिला रसद अधिकारी	सदस्य
3. उप पुलिस अधीक्षक/थाना इन्चार्ज संबंधित	सदस्य
4. उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ	सदस्य
5. प्रतिनिधि आरएसडब्लूसी/सीडब्लूसी	सदस्य
6. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति	सदस्य
7. क्रय-विक्रय सहकारी समिति/केन्द्र प्रभारी	सदस्य सचिव

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

पुलिस अधीक्षक, कानून व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 15(11) कानून व्यवस्था/2018-23/376 दिनांक 20.03.2023 **(संलग्न परिशिष्ट-23)** के द्वारा पूर्व में समस्त पुलिस अधीक्षक एवं समस्त उपायुक्त को खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इस हेतु फसल खरीद के दौरान आवश्यक पुलिस प्रबन्ध करने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देशित किया हुआ है। अतः संबधित जिला/पुलिस प्रशासन से भी समन्वय बनाया रखा जावे।

मुख्य सचिव, राजस्थान स्तर से जिला कलक्टर को पत्र क्रमांक 14706-14793 दिनांक 21.10.20 संलग्न **परिशिष्ट-24** से पूर्व में क्रय केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु 1 से 4 का पुलिस बल लगाये जाने के निर्देश दिये हुये है। अतः सम्बन्धित जिला प्रशासन से सम्पर्क कर खरीफ 2023 खरीद अवधि के दौरान केन्द्र पर पुलिस बल लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

आगामी लोकसभा चुनाव के मध्यनजर राज्य में गेहूँ एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर आरंभ होने वाली खरीद को ध्यान में रखते हुए राजफैड़ एवं सहकारिता विभाग के कार्मिकों को चुनावी ड्यूटी से मुक्त करने हेतु मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पीएसएस/2023-24/3912-61 दिनांक 06.03.2024 परिशिष्ट-25 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया हुआ है। अतः समर्थन मूल्य खरीद कार्य में संलग्न कार्मिक की यदि चुनाव कार्य में जिला प्रशासन द्वारा ड्यूटी लगायी गयी है/लगायी जाती है तो उक्त निर्देशों के क्रम में संबंधित कार्मिक की चुनावी ड्यूटी निरस्त करायी जाये ताकि समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन-तिलहन खरीद कार्य निर्बाध रूप से सम्पन्न करायी जा सके।

33. प्रचार-प्रसार -

(अ) सभी क्रय केन्द्रों पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करवाया जावे। आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों जिला परिषद/जिला पंचायत के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जावे। क्रय केन्द्रों पर फ्लेक्स बैनर में विशेष रूप से निम्नाकिंत तथ्यों को प्रदर्शित किया जावे :-

1. एफ.ए.क्यू. मापदडों एवं समर्थन मूल्य दर का प्रदर्शन।
2. क्रय केन्द्रों पर विक्रय हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची।
3. टोल फ्री नम्बर, क्रय केन्द्र प्रभारी, समिति व्यवस्थापक का नाम व मोबाईल नम्बर।
4. कृषक को ऑनलाईन बिल जारी कराने एवं एक प्रति प्राप्त करने हेतु सूचित किये जाने एवं तुलाई पर्ची समिति में जमा कराने बाबत फ्लेक्स बैनर के माध्यम से सूचित किया जावें।
5. समस्या समाधान हेतु संबंधित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ का नाम व मोबाईल नम्बर।
6. कृषक द्वारा वहनीय खर्चों की सूची।

(ब) बैनर - समर्थन मूल्य दलहन-तिलहन खरीद अन्तर्गत क्रय केन्द्रों/मण्डी परिसर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संलग्न परिशिष्ट-26 अनुसार बैनर लगाये जाने है, जिसमें क्रय केन्द्र से संबंधित जिन्स के गुणवत्ता मापदण्डों, किसान द्वारा वहनीय खर्चों एवं संबंधित अधिकारियों के मोबाईल नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख हो।

34. विजिलेन्स -

1. सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार ,सहकारी समितियॉ कार्यालय में समर्थन मूल्य खरीद हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया जावे। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ जिले में संचालित खरीद केन्द्रों का सतत् रूप से सघन पर्यवेक्षण एवं मॉनेटरिंग करेगें एवं वह यह भी सुनिश्चित करेगें कि समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु राजफैड़

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड, जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD, JAIPUR-302 001

द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना क्रय केन्द्रों द्वारा की जावे। गत खरीद में केन्द्रों पर खरीद उपरान्त स्टॉक कम होना, स्टॉक चोरी होना, समितियों द्वारा नॉन एफ.ए.क्यु. जिन्स खरीद किये जाने के प्रकरण सामने आये है। अतः सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ उक्त बिन्दुओं पर सघन निगरानी रखेगें, यदि कोई अनियमितता सामने आती है, तो अविलम्ब राजफैड़ मुख्यालय को अवगत कराते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगे। समर्थन मूल्य पर किसानों से कृषि जिन्स की खरीद का कार्य सुगमता से एवं पारदर्शिता पूर्ण तरीके से सम्पन्न हो सके की दृष्टि से इकाई अधिकारी(जिले का उप रजिस्ट्रार), समिति व्यवस्थापकों के एवं केन्द्र प्रभारियों के दायित्व तथा कम्प्यूटर ऑपरेटरों के दायित्व पत्र क्रमांक 15988–16388 दिनांक 09.11.2020 **संलग्न परिशिष्ट–27** से निर्धारित किये हुए है। अतः संबंधित सभी से अपेक्षा की जाती है कि आपसी समन्वय स्थापित करवाते हुए खरीद कार्य को पारदर्शिता पूर्ण तरीके से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें एवं क्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण भी किया जावें।

2. संबंधित उप रजिस्ट्रारगण यह सुनिश्चित करवायें कि क्रय केन्द्रों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्ड के अनुरूप ही दलहन–तिलहन की खरीद की जाये। किसान द्वारा क्रय केन्द्र पर लाये जाने वाले जिन्स के संबंध में यदि गुणवत्ता विवाद उत्पन्न होता है तो इस परिपत्र के बिन्दु क्रमांक 15 के अनुसार गठित कमेटी के माध्यम से विवाद का निस्तारण करवाया जाये। केन्द्र पर जिन्स क्रय करने के उपरांत यदि भण्डारगृह पर गुणवत्ता संबंधी विवाद उत्पन्न होता है तो इस परिपत्र के बिन्दु क्रमांक 27 के अनुसार गठित कमेटी के माध्यम से गुणवत्ता विवाद का निपटारा करवाया जावे।

3. संबंधित उप रजिस्ट्रारगण यह भी सुनिश्चित करावें कि क्रय केन्द्रों द्वारा प्रचार–प्रसार की पूर्ण व्यवस्था की गयी है एवं इस हेतु निर्धारित प्रारूप अनुसार बैनर भी लगाये गये है।

4. क्षेत्रीय अधिकारीगण राजफैड़, समितिवार लगाये गये बैनर की फोटो संकलित कर राजफैड़ मुख्यालय को भिजवाएगें।

सभी उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़ को दैनिक रूप से ओ.पी.आर. जरिये ई–मेल प्रेषित की जावेगी। इस हेतु सम्बन्धित कार्यालयों के एक्टिव ई–मेल आई.डी. प्रेषित करावे। खरीद एवं भुगतान सम्बन्धी प्रगति कृषक विशेष या क्षेत्र विशेष की जन सूचना पोर्टल पर भी देखी जा सकती है।

प्रतिदिन खरीद प्रगति की सूचना पर ऑनलाईन अपडेट की जावे। चना/सरसों खरीद सम्बन्धी समस्त रिकॉर्ड एवं दस्तावेज पूर्ण रूप से सुरक्षित रखे जावें, ताकि ऑडिट के समय किसी तरह की असुविधा न हो।

क्षेत्रीय अधिकारी अपने क्षेत्र में स्थित खरीद केन्द्रों का सप्ताह में तीन दिवस प्रतिदिन कम से कम तीन केन्द्रों का विजिट/निरीक्षण करते हुए विजिट रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप संलग्न **परिशिष्ट–28** में विजिट समाप्त होने के दो दिवस के अन्तर आवश्यक रूप से महाप्रबन्धक(वाणिज्य) को भिजवाएगें।

उप रजिस्ट्रारगण भी समय–समय पर केन्द्रों का विजिट करे एवं संलग्न प्रारूप अनुसार विजिट रिपोर्ट प्रेषित की जावें। बटाईदार के पंजीयन की व्यवस्था बिन्दु क्रमांक 5 एवं खरीद प्रक्रिया 14.3 अनुसार निर्धारित है। केन्द्रों पर बटाईदार के पंजीयन/खरीद के संबंध में रेण्डम आधार पर दस्तावेजों की जॉच भी की जावें। यदि किसी केन्द्र पर बटाईदारों के असामान्य पंजीकरण पाये जाते है तो उसके संबंध में भी तथ्यों की जॉच कर अवगत करावें। इसी प्रकार क्रय केन्द्रों के विजिट के दौरान कृषक/ई–मित्र द्वारा ऑनलाईन प्रक्रियानुसार अपलोड़ किये गये दस्तावेजों यथा गिरदावरी, बैंक पासबुक, जनाधार–कार्ड का क्रय केन्द्र पर मूल भौतिक

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

रिकॉर्ड से मिलान किया जावें। यदि कोई विसंगति ध्यान में आती है तो उसका भी विजिट रिपोर्ट में आवश्यक रूप से उल्लेख किया जावें। क्रय केन्द्रों द्वारा खरीद के समय मूल गिरदावरी में वर्णित रकबे का स्पष्ट ध्यान रखा जावें।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि आपके क्षेत्र के क्रय केन्द्रों पर समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत समर्थन मूल्य दर पर चना/सरसों की खरीद में निर्धारित गुणवत्ता मापदंडो का पूर्ण ध्यान रखा जावे। निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप चना/सरसों खरीद की जिम्मेवारी सम्बन्धित समिति की होगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(अर्चना सिंह)
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रशासक, राजफैड़ एवं मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ,जयपुर।
3. शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, कृषि/राजस्व, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. आयुक्त कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि सहकारी विभाग स्तर से भी निर्देश जारी करने का श्रम करें।
8. निदेशक, कृषि, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, कृषि विपणन, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर ।
10. संभागीय आयुक्त (समस्त) ....
11. जिला कलक्टर (समस्त) ....
12. उपखण्ड अधिकारी (समस्त) ....
13. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा/कृषि/मा.स.वि./फैक्ट्री) राजफैड, जयपुर।
14. अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मार्के), सहकारी समितियॉं, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि समर्थन मूल्य दलहन/तिलहन की खरीद के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों को अपेक्षित विभागीय निर्देश जारी करवाने की व्यवस्था करे।
15. श्री आर.के. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक डीओआईटी, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपर्युक्त आदेशों की सभी ई–मित्र कियोस्क धारकों से पालना सुनिश्चित कराने हेतु पाबन्द करें।
16. श्री एस.सी. गुप्ता, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, कमरा नं. 8318, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. राज्य प्रमुख, नेफेड जयपुर।
18. निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक, राजफैड़, जयपुर–उक्त आदेश राजफैड़ वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।
19. आईटी ,शाखा, राजफैड, जयपुर।
20. जनसम्पर्क अधिकारी, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

13/3/2024
महाप्रबन्धक (वाणिज्य)

परिशिष्ट - 1

Government of Rajasthan
Agriculture (Gr-1) Department,
Rajasthan, Jaipur

No.F.9( )Agri.-1/Input/2024 Jaipur, Dated:- 06/2/24.

NOTIFICATION

Under the Price Support Scheme (PSS) for the procurement of **Gram andMustard** on Minimum Support Price in the year of 2024-25 as per the guidelines of GoI, a notification regarding Crop Calendar and Harvesting period of **Gram andMustard** in Rajasthan State is required to be issued as part of the proposal.

Therefore, Government of Rajasthan hereby notifies and declares the sowing and harvesting period of Rabi crop **Gram andMustard** in the State of Rajasthan as under:-

Particulars	Rabi 2023-24
Sowing	Sept.-Nov. 2023
Harvesting	Feb.- April 2024

By order and in the name of Government of Rajasthan

(KailashNarainMeena)
Jt. Secretary to the Govt.

No.F.9( )Agri.-1/Input/2024 Jaipur, Dated:- 06/2/24.

Copy to following for information and necessary action:

1. PS to Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
2. SA to Hon'ble Agriculture Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. SA to Hon'ble Minister, Food & Civil Supply Rajasthan, Jaipur.
4. SA to Hon'ble Minister, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
5. PS to Principal Secretary, Agriculture & Horticulture, Rajasthan, Jaipur.
6. PS to Secretary Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
7. PS to Principal Secretary Food & Civil Supply Rajasthan, Jaipur.
8. PS to Registrar, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
9. PS to Commissioner of Agriculture, Rajasthan Jaipur.
10. Joint Secretary Co-operative, Secretariat, Jaipur.
11. Director, Deptt of Agriculture Marketing, Rajasthan Jaipur.
12. Managing Director, RAJFED, Rajasthan Jaipur.

Jt. Secretary to the Govt.

Signature valid

RajKaj Ref
5458665

Digitally signed by Kailash Narayan Meena
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.02.06 1:31:02 IST
Reason: Approved

GST No.: 08AAAAR0279B1ZU

परिशिष्ट - 2.

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांक: स.मू./वाणिज्य/आईटी/5649 - 5743

दिनांक 12.10.2023

श्री आर.के.शर्मा,
तकनीकी निदेशक,
DOIT&C,
योजना भवन, जयपुर।

विषय : राज्य में समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन की ऑनलाइन खरीद वर्ष खरीफ 2023 में किसानो के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु ईमित्र कियोस्क धारको को निर्देशित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में समर्थन मूल्य खरीद खरीफ 2023 में किसानो के ऑनलाइन पंजीकरण पूर्व वर्षों की भांति ई-मित्र कियोस्क पर किए जाने है। गत खरीदो में ई-मित्र द्वारा पंजीकरण हेतु राजफेड के दिशा निर्देशों यथा जमाबंदी के आधार पर पंजीकरण न करना, जिस तहसील में किसान की भूमि है उसी तहसील के केन्द्रो पर पंजीकरण न करके अन्य तहसील के केन्द्रो पर पंजीकरण करना इत्यादि के उल्लंघन के प्रकरण सामने आए है जिससे खरीद के समय अनावश्यक विवाद उत्पन्न होते हैं एवं खरीद प्रक्रिया बाधित होती है। अतः इस सम्बन्ध में ई-मित्र कियोस्क धारको को किसानो के ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें :-

1. एक जन आधार कार्ड पर एक पंजीकरण ही मान्य है। कृषक की नवीनतम गिरदावरी में अंकित नाम एवं किसान के आधार में सीडेड मोबाइल नंबर पर एक ही पंजीकरण करें।
2. जन आधार कार्ड में यदि किसान का बैंक खाता संख्या/ब्रांच आईएफएससी कोड गलत होने की स्थिति में पहले जन आधार कार्ड में अपडेट करें, तत्पश्चात ही पंजीकरण करें।
3. कृषक की नवीनतम गिरदावरी में अंकित बुवाई क्षेत्रफल अनुसार ही पंजीकरण फॉर्म में रकबा हेक्टेयर में ही अंकित करें। पंजीकरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें की किसान की खसरा गिरदावरी में बुवाई क्षेत्रफल हेक्टेयर में (अंको तथा शब्दो में) अंकित हो तथा कृषक के हिस्से का स्पष्ट उल्लेख हो एवं बोयी गई फसल का नाम व रकबा भी स्पष्ट अंकित होना चाहिए।
4. किसान के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर सीडेड होना सुनिश्चित करें।
5. पंजीकरण फॉर्म में गिरदावरी में अंकित पी-35 का क्रमांक एवं दिनांक आवश्यक रूप से अंकित करें।
6. ऑनलाइन पंजीकरण के समय "गिरदावरी में अंकित फसल" का ही पंजीकरण उस फसल से संबन्धित क्रय केंद्र पर ही करें।
7. मूल गिरदावरी के आधार पर ही पंजीकरण करें। गिरदावरी स्लिप,जमाबंदी से पंजीकरण मान्य नहीं होंगे।
8. बटाईदार की स्थिति में बटाईदार एवं भूमि मालिक का जनआधार कार्ड नंबर अपलोड करना होगा। बटाईदार अपने नाम से पंजीकरण करवा सकता है। बुआई से पूर्व का भूमि मालिक एवं कृषक (बटाईदार) के मध्य 100 रुपये के नॉन ज्यूडिसियल के स्टांप पर अनुबंध का निष्पादन करवाना होगा, बाद की तिथि का अनुबंध मान्य नहीं होगा। भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य एक जिन्स के लिए एक ही अनुबंद मान्य होगा।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 27[illegible]
0141-2740364, 2740081, 274007[illegible]
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

9. किसानो के ऑनलाइन पंजीकरण का उद्देश्य उनसे खरीद की प्राथमिकता का निर्धारण तथा पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखना है । ऑनलाइन पंजीकरण होना खरीद की गारंटी नहीं है।
10. बटाईदार की स्थिति में बटाई अनुबंध आवश्यक रूप से अपलोड करना होगा ।
11. गिरदावरी पर पटवारी की मोहर एवं मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से अंकित होने की स्थिति मे ही पंजीयन किया जावे ।
12. कृषक की जिस तहसील में भूमि स्थिति है उसी तहसील के केंद्र का ही पंजीकरण किया जावे, अन्यत्र तहसील पर किया गया पंजीयन खरीद हेतु मान्य नहीं होगा ।
13. कृषक के अंगूठे बायोमेट्रिक प्रमाणन योग्य होने के उपरांत भी यदि उक्त किसान का पंजीयन OTP आधार पर किया जाता है, तो ऐसे पंजीयन स्वीकार्य नहीं होंगे एवं संबन्धित ई-मित्र के खिलाफ विभागीय कार्यवाही यथा ई-मित्र लाईसेंस निरस्त करना, अर्थदण्ड लगाना एवं पुलिस कार्यवाही अमल में लायी जावेगी जिसके लिए ई-मित्र स्वयं उत्तरदायी होंगे । OTP विकल्प का उपयोग वास्तविक प्रकरणो में ही किया जाना है । यदि कियोस्क द्वारा पंजीकरण में कोई अनियमितता की जाती है अथवा आदेशो के विपरीत पंजीकरण किया जाता है तो संबन्धित कियोस्क के विरुद्ध DOIT द्वारा कार्यवाही की जाएगी ।

पंजीकरण प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ की जा रही है, अतः इस संबंध में आपके स्तर से राज्य के सभी ई-मित्रा को राजफेड द्वारा समय समय पर जारी आदेशो की कठोरता से पालना सुनश्चित करने हेतु पाबंद करें ।

भवदीय

(संदेश नायक)
IAS
प्रबंध निदेशक

प्रतिलिपि :
1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार ।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर (समस्त) ।
5. खंडिय अति. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (समस्त) ।
6. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (समस्त) ।

प्रबंध निदेशक

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Information Technology & Communication

क्रमांक : F5(938)/DoIT/Tech/2016/III/ ML-2092/2023 दिनांक : 13/10/2023

समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता,
समस्त जिले।

विषय :– राज्य में समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन की ऑनलाईन खरीद वर्ष खरीफ 2023 में किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु ईमित्र ।

संदर्भ :– प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि से प्राप्त पत्र क्रमांक स.मू./वाणिज्य/आईटी/5649–5743 दिनांक 12.10.2023 ।

राज्य में समर्थन मूल्य खरीद खरीफ 2023 में किसानो के ऑनलाईन पंजीकरण ईमित्र कियोस्को के द्वारा किया जाना है। इस हेतू राज्य सहकार क्रय विक्रय संघ लि. द्वारा संलग्न पत्रानुसार दिशा निर्देश प्राप्त हुये है।

इसके संबंध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सहकार क्रय विक्रय संघ लि द्वारा जारी किये गये निर्देशो की अनुपालना ईमित्र कियोस्कधारको से करवाया जाना सुनिश्चित करावे। यदि कियोस्कधारक दिशानिर्देशानुसार कार्य नही करता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी स्थानीय सेवा प्रदाता की होगी।

(आर.के.शर्मा)
तकनीकी निदेशक

क्रमांक : F5(938)/DoIT/Tech/2016/III/ ML-2092/2023 दिनांक : 13/10/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी ओर संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर।
3. निजी सचिव, जिला कलक्टर, समस्त जिले।
4. अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, सू.प्रौ.सं.वि., समस्त जिलों को देकर निर्देशित किया जाता है उपरोक्त संदर्भित निर्देशो की अनुपालना ई–मित्र कियोस्कधारको से करवाना सुनिश्चित करावे।

तकनीकी निदेशक

IT Building, Yojana Bhawan Campus, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Website: http://www.doitc.rajasthan.gov.in

परिशिष्ट-3

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकः वाणिज्य/2023-24/9318-9330 दिनांक 07.02.2024

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजफैड (समस्त)

...................................।

विषय :- आगामी रबी सीजन 2024-25 में दलहन-तिलहन का संभावित बुआई क्षेत्रफल एवं उत्पादन।

प्रसंग :- संयुक्त निदेशक, कृषि सांख्यिकी, कृषि आयुक्तालय, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ6(iii)/दल.-तिल. /2024/14599-600 दिनांक 07.02.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त निदेशक, कृषि सांख्यिकी, कृषि आयुक्तालय से प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.02.2024 के द्वारा आगामी रबी सीजन 2024-25 में दलहन-तिलहन का संभावित बुआई क्षेत्रफल एवं उत्पादन की प्राप्त सूचना संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(प्रेम प्रकाश माण्डोत)
महाप्रबन्धक (वाणिज्य)

प्रतिलिपि :-
1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजफैड़, जयपुर।
2. राज्य प्रमुख, नेफेड, जयपुर।
3. महाप्रबन्धक (मा.स.वि.), राजफैड़, जयपुर।
4. आई.टी. शाखा, राजफैड़, जयपुर।

महाप्रबन्धक (वाणिज्य)

परिशिष्ट-4

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ6(iii) आ.कृ/मु.सा.अ./प्रोक्यो/दल0–तिल0/2024/14599-600 दिनांक 7-2-24

महाप्रबन्धक (वाणिज्य),
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय
संघ लि., 4 भवानी सिंह रोड़, जयपुर।

विषयः– रबी विपणन वर्ष 2024–25 में समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन की खरीद हेतु नोटिफिकेशन, सम्भावित बुआई, उत्पादन एवं आवक की मुख्य अवधि की सूचना भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः– आपका कार्यालय पत्र क्रमांकः–वाणिज्य/2023–24/8716–8720 दिनांक 30.01.2024 के क्रम में।

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के विषयान्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2024–25 में भारत सरकार के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर दलहन–तिलहन की खरीद हेतु नोटिफिकेशन, जिलेवार बुवाई, सम्भावित उत्पादन, उत्पादकता एवं रबी सीजन 2024–25 में चना एवं सरसों फसलों की आवक की मुख्य अवधि की सूचना संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंग्न – उपर्युक्तानुसार।

(टी0सी0 गुप्ता)
संयुक्त निदेशक कृषि (सांख्यिकी)

क्रमांकःएफ6(iii) आ.कृ/मु.सा.अ./प्रोक्यो/दल0–तिल0/2024/14599-600 दिनांक 7-2-24
प्रतिलिपिः–संयुक्त शासन सचिव कृषि (ग्रुप–1) विभाग जयपुर को सूचनार्थ।

संयुक्त निदेशक कृषि (सांख्यिकी)

7/2/2024

परिशिष्ट-5

FIRST ADVANCE ESTIMATE RABI-2023-24

S.NO	DIST	GRAM			RAPES&MUSTARED		
		AREA	PROD.	Yield	AREA	PROD.	Yield
1	AJMER	59668	69215	1160	7969	14743	1850
2	ALWAR	5406	8545	1581	150054	269309	1795
3	ANOOPGARH	26729	42766	1600	159967	319934	2000
4	BANSWARA	14765	16980	1150			
5	BARAN	44852	98674	2200	148500	356400	2400
6	BARMER	78	116	1487	42600	61770	1450
7	BALOTRA	1500	900	600	12114	14707	1214
8	BEAWAR	15631	17976	1150	7780	14393	1850
9	BHARATPUR	840	924	1100	143060	286120	2000
10	BHILWARA	37320	57870	1551	21839	32058	1468
11	BIKANER	174332	156899	900	222765	300733	1350
12	BUNDI	33919	59290	1748	62968	100749	1600
13	CHITTOR	74750	108388	1450	61656	110981	1800
14	CHURU	332758	270651	813	180631	154631	856
15	DAUSA	28746	46137	1605	60525	109792	1814
16	DIDWANA-KUCHAMAN	26866	24736	921	14283	14426	1010
17	DEEG	1350	1350	1000	116619	230000	1972
18	DHOLPUR	610	1488	2439	91150	200530	2200
19	DUNGARPUR	9947	12931	1300	34	69	2029
20	DUDU	66205	74481	1125	29663	37078	1250
21	PHALODI	27144	43821	1614	142352	239282	1681
22	GANGANAGAR	38342	41984	1095	150384	263022	1749
23	GANGANAGAR CITY	4714	8011	1699	110604	217213	1964
24	HANUMANGARH	130981	130981	1000	235447	388488	1650
25	JAIPUR	49	54	1102	596	610	1023
26	JAIPUR RURAL	32676	42400	1298	62380	74856	1200
27	JAISALMER	156500	140850	900	65900	65900	1000
28	JALORE	6110	10606	1736	47324	70986	1500
29	JHALAWAR	40175	72315	1800	72436	123141	1700
30	JHUNJHUNU	72049	73772	1024	130896	172887	1321
31	JODHPUR	90	108	1200	175	210	1200
32	JODHPUR RURAL	12600	18300	1452	78900	118300	1499
33	KARAULI	1175	3141	2673	52023	109088	2097
34	KHAIRTHAL-TIJARA	412	616	1495	91823	148802	1621
35	KEKRI	89010	94534	1062	107690	181937	1689
36	KOTPUTLI-BEHROR	3467	4330	1249	110969	190866	1720
37	KOTA	49180	109173	2220	76175	157716	2070
38	NAGAUR	18050	16619	921	38177	38559	1010
39	NEEM KA THANA	14833	15230	1027	17017	21909	1287
40	PALI	88831	119922	1350	70118	94659	1350
41	PRATAPGARH	22096	32644	1477	12750	25554	2004
42	RAJSAMAND	6071	12142	2000	2124	2124	1000
43	S.MADHOPUR	18360	33048	1800	117450	213759	1820
44	SALUMBAR	4839	6644	1373	2507	3530	1408
45	SANCHORE	40	60	1500	47324	55735	1178
46	SHAHPURA	62637	87702	1400	44177	56383	1276
47	SIKAR	35952	39500	1099	45805	55752	1217
48	SIROHI	6050	3630	600	18170	25438	1400
49	TONK	60400	93620	1550	258670	475953	1840
50	UDAIPUR	13773	18909	1373	7134	10046	1408
State Total/Average		1972878	2344983	1189	3751674	6231128	1661

परिशिष्ट-6

41

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक 3(2)राज-6/2007/पार्ट/5 जयपुर, दिनांक: 12.09.2018

1. समस्त संभागीय आयुक्त
2. समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान।

परिपत्र

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प 2 (4) राज-4/98/37 दिनांक 13.12.1991 के अन्तर्गत मंदिर माफी/देवमूर्ति की भूमियों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये थे:-

1. भविष्य में जो जमाबंदी राजस्व विभाग या बंदोबस्त विभाग द्वारा बनाई जाए, उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नही लिखा जाए।
2. प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा में अलग से रखा जाए, जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है, उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जाए।
3. जो जमाबंदी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है, उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जाए तथा ऊपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जाए, इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जाए।

इसका संभावित उद्देश्य यह था कि मंदिर भूमि का विधि विरुद्ध रूप में रहन या विक्रय न हो सके। इस आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी से पुजारियों के नाम हटाएं गए।

उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों की सही कियान्विति नही करने या गलत व्याख्या करने के कारण मन्दिर माफी की भूमियों के संबध में समस्याए राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई। अतः राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है:-

1. पूर्व परिपत्र दिनांक 13.12.91 की पालना में जमाबन्दी में मूर्तिमंदिर के साथ पुजारी का नाम विलोपित करने के साथ यदि पृथक से इस हेतु संधारित रजिस्टर में उसका अंकन नही किया गया हो तो

दिनांक 13.12.91 को जमाबन्दी में अंकित पुजारी / सेवायत का नाम इस हेतु पूर्व निर्देशित पृथक रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाये।

2. राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप में पुजारियों को मिली खातेदारी वाले पुजारी जिनका गलत रूप में विलोपन कर दिया गया है और जिन्हे पुनः खातेदारी दी जा सकती है। इस संबंध मे पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के उपरान्त दिनांक 24.5.2007 व परिपत्र दिनांक 25.11.2011 को जारी परिपत्र में इन्हे खातेदारी दिये जाने हेतु निर्देश व स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है, जिनका प्रकरणवार विधिक परीक्षण कर सही पाये जाने पर खातेदार बन चुके पुजारियो के नाम जमाबन्दी के खातेदार के कॉलम में अंकित किए जाने की यथोचित कार्यवाही की जाए।

3. परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के प्रावधानुसार मंदिर की भूमियों हेतु पृथक पंजिका बना कर उसमें पुजारियों के नाम दर्ज किये जाये, उसको पारदर्शी एवं नियमित रूप से अद्यतन रखने हेत पंजिका को ऑनलाईन कम्प्यूटराईज्ड रूप में एल.आर.सी. पर जमाबंदी से लिंक किये जाने की कार्यवाही की जाये। मंदिर से संबधित खाते की जमाबन्दी की नकल के साथ आवश्यक रूप से पुजारी का यह प्रपत्र अपने समुचित प्राधिकार के साथ जारी / प्रदान किया जाएगा।

4. मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में निम्नानुसार अनुमत / प्राधिकृत होंगेः—

- मंदिर भूमि के विकास के लिए संबधित विभाग के नियमानुसार विद्युत, पेयजल, ट्यूबवेल आदि के लिए कनेक्शन हेतु।
- फसल खराबे की स्थिति में नियमानुसार सहायता अनुदान हेतु।
- कृषि विभाग की योजना अनुसार भूमि सीमा में पात्र होने पर बीज, कृषि उपादान आदि पर नियमानुसार अनुदान प्राप्त करने हेतु।
- इसी प्रकार राज्य सरकार की अन्य योजनाओं, जिसमें भूमि रहन न होती हो, उसमें उन्हें यथा प्रावधान लाभ दिया जा सकेगा।
- मंदिर के नाम बैंक खाता होने पर इसका संचालक एवं उपयोगकर्ता पुजारी को बनाया जा सकेगा। इसमें प्रत्येक पुजारी बहैसियत मंदिर के संरक्षक के रूप में नियमानुसार योजनांतर्गत लाभ हेतु अनुमत / प्राधिकृत होगा।

5. मंदिर भूमि पर अतिकमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिकमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिकमी के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्तिमंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तद्नुसार प्रभावी निस्तारण करेगें।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जागीर आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

858

परिशिष्ट-7

NAFED
60 Years in Service

JP/MK/Rabi/2023-24/ 1839

04.03.2024

General Manager(Comm.)
Rajfed
Jaipur

Sub:- Minimum Support Price (MSP) for Rabi 2024 season and FAQ parameters-reg.

Sir,

With reference to your letter No. 9732 dated 20.02.2024 enclosed please find a copy of GOI notification dt. 26.10.2023 Declaring MSP for Rabi 2024 season and copy of FAQ parameters for Rabi crops for further needful at your end.

Thanking You,

Your faithfully

State Head

PS 4/3

P.T.O.

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड)
NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LTD.
3rd Floor, Nehru Sahkar Bhawan, Bhawani Singh Road, JAIPUR-302001
Tel: 91-141-2740796, 2740145 Fax: 91-141-2740736
E-mail : nafjpr@nafed-india.com Website: www.nafed-india.com; Twitter:@nafedindia

Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare
Economics, Statistics & Evaluation Division

Minimum Support Prices (MSP) for Rabi Crops for Marketing Season 2024-25

Government has approved the increase in Minimum Support Prices (MSPs) for mandated Rabi Crops of Fair Average Quality for Rabi Marketing Season (RMS) 2024-25. The decision of the Government to increase Rabi crops MSP fulfills the commitment to the farmers to provide at least 50 per cent return over cost of production.The details of MSPs for mandated Rabi Crops for Rabi Marketing Season (RMS) 2024-25 are given below:

Commodity (Fair Average Quality)	Minimum Support Price *(₹ per quintal)*
Wheat	2275
Barley	1850
Gram	5440
Lentil (Masur)	6425
Rapeseed & Mustard	5650
Safflower	5800

(Rishi Kant)
Joint Director (FE)
Tel. No. 23383798
26.10.2023

परिशिष्ट-8

Fair Average Quality (FAQ) Grade Specifications of Gram Whole (Desi) for procurement under Price Support Scheme (PSS)

Sr. No.	Special Characteristics	Maximum permissible limits of different refractions (% by weight per qtl.) for FAQ
1.	Foreign matter	1.0
2.	Other food grains	3.0
3.	Damaged grains	3.0
4.	Slightly damaged touched grains	4.0
5.	Immature shrivelled & broken grains	6.0
6.	Admixture	2.0
7.	Weevilled grains	4.0
8.	Moisture content	14.0

Definitions:

Foreign matter: Includes organic and inorganic matter. The inorganic matter shall include sand, gravel, dirt, pebbles, stones, lumps of earth, clay and mud. The organic matter shall include chaff, straw, weed seed and inedible grains.

General Characteristics:

a) Be the dried mature grains. (of Cicer Arietinum).
b) Have uniform size, shape and colour.
c) Be sweet, hard, clean, wholesome and free from moulds, living insects, obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances and all other impurities except of the extent indicated in schedule below.
d) Be in sound merchantable condition.
e) Conform to PFA Rules.

परिशिष्ट - 9

Fair Average Quality (FAQ) Grade Specifications of Rapeseed/Mustard seed for procurement under Price Support Scheme (PSS)

Sr. No.	Special Characteristics	Maximum limits of tolerance (% by weight per qtl.) for FAQ
1.	Impurities/ Foreign matter including Taramira	2
2.	Admixture with other types including Toria	10
3.	Unripe, Shrivelled or immature	4
4.	Damaged & weevilled	2
5.	Small atrophied seeds	10
6.	Moisture content	8

Note: Presence of all non-edible oilseeds, like Castor, Mahua, Neem etc.is prohibited.
Presence of Argemone seeds is also prohibited.

Definitions:

1. Impurities or Foreign matter includes dust, dirt, stones, lumps of earth, chaff, stems/ straw, taramira and any other impurity;
2. Admixture means other types of Sarson (including Toria);
3. Unripe and shrivelled or immature seeds are those which are not properly developed;
4. Damaged & weevilled seeds are those which are internally damaged or discoloured, damage and discolouration materially affecting the quality;
5. Small atrophied seeds means seeds which are not retained in sieves with 14 meshes per liner inch (1" = 2.54 cms). This factor will not be applicable to the juncea or nigra group of seeds.

Intimation of L1 F.O.R rate for Supply of SBT 530 gms-reg.

परिशिष्ट-10

From: NAFED Kolkata (nafedkolkata@gmail.com)

To: rajfed_agri.input@yahoo.com; rajfed_hrd@yahoo.com

Cc: nafjpr@gmail.com; nafjpr@nafed-india.com; abhishekkumar@nafed-india.com

Date: Saturday, 10 February, 2024 at 08:48 pm IST

Ref: KOL/MK/JUTE BAGS/2023-24/ Date: 10.02.2024

To
The Managing Director
M/s. RAJFED
Rajasthan

Sir,

This is to inform you that NAFED Kolkata branch has conducted e-Tender dated 06.02.2024 for SBT 530 gms Gunny bags as per new BIS specification & **the Final F.O.R rate for Ex-Rajasthan destination is as follows:**

Particulars	**Rate per 100 Bags (in Rs.)**
Base rate	4896.47
GST on Base Rate @ 5%	244.82
Final F.O.R Rate for Rajasthan Destination	**5141.29**

<u>Following are the terms & conditions</u>: -

- **NAFED Kolkata will no more raise separate administrative charges on the consignees/State Federations.**

- The basic rates per 100 bags F.O.R destination quoted shall be inclusive of branding charges, transit insurance of goods, statutory taxes, transit cost, inspection, loading & Unloading, supervision charges.

- Further, **Payment 90% advance has to be made to NAFED while placing indent**. Upon receiving 90% advance payment, we shall dispatch gunny bags from Kolkata. Jute Mills shall raise bills on M/s. RAJFED and TDS under GST @ 2% will have to be deposited by the consignee with GOI, if applicable. Hence at the time of remitting funds to NAFED, the consignee may deduct 2% TDS under GST on base value i.e. amount exclusive of tax. In addition to this another 0.1% TDS u/s 194Q may be deducted and the same may be deposited at the consignee end. It will be the responsibility of the consignee to deposit the TDS under GST on time.

- Quality complaint: Quality complaints if any at the receiving stations shall have to be intimated immediately with relevant photographs and details so that surveyor may be sent for required checking. The complaint bales/bags shall have to be kept separately and not to be used and /or

partly used. **Whatsoever claim after 10 days of receipt of bags shall not be entertained by NAFED in any case.**

- The destination provided by the consignee may be given in multiple of 80 bales (40000 pcs) per truck for smooth dispatches (Optional).

- Further, **before unloading of gunny bags at desired location, it must be ensured that the inspection agency seal should be intact to the truck.** If not, then it should be intimated immediately and unloading of goods under such cases should not be carried out.

NAFED has conducted online e-Tender for sourcing jute bags from jute mills. The best rate obtained in the e-Tender is being communicated to you. However it is up to the consignee, if they wish to source the bags from NAFED Kolkata and in this regard, if rate is approved: then provide the confirmation of rates as well as quantity to be dispatched so as to proceed further in this regard.

Awaiting your approval on the same.

Regards,

State Head

NAFED-WB

==
NAFED KOLKATA
2ND FLOOR, BLOCK E-F, 12C SHYAM KUNJ, LORD SINHA ROAD
KOLKATA- 700 071
MAIL ID: nafedkolkata@gmail.com, nafkol@nafed-india.com
WEBSITE: https://www.nafed-india.com/
==
"Agriculture is our wisest pursuit, because it will in the end contribute most to real wealth, good morals & happiness."

NAFED
60 Years in Service

परिशिष्ट-11

JP/MK/KHARIF PSS-2023-24/2023-24/2006

15.03.2023

The Managing Director
Rajfed
Jaipur

Sub: Procurement of Pulses & Oilseeds under PSS during Rabi -2023-24 season- Reg.

Ref: 1.Govt. of India Sanction order No. L-15016/35/2023-MPS(124558) dt. 07th March 2023 (Copy enclosed)
2.Govt. of India Sanction order No. L-15016/38/2023-MPS(124851) dt 14th March 2023(Copy enclosed)

Respected Madam,

As you are kindly aware, as per above referred GOI sanction order dt. 07.03.2023 and 14.03.2023, procurement quantity of maximum 15,19,318 MTs Mustard, & 6,65,028 MTs Gram has been approved for procurement during current Rabi 2023-24 season strictly as per PSS guidelines 2018 and the procurement is likely to commence in the State shortly. To commence the procurement, the following measures among others as per the guidelines may please be complied with before commencement of procurement:

1. Identification of procurement centres commodity wise before the commencement of procurement in co-ordination with Nafed.

2. Finalization of Labour & Transportation expenses before the commencement of procurement as per PSS Guidelines and submit the same to Nafed to avail the Cash Credit Limit from SBI.

3. Positioning of gunny bags to all procurement centres identified for procurement which should be as per BIS specifications.

4. Identification of WDRA accredited CWC/SWC warehouses in the radius of 50 KMs of procurement centres, and stocks of PSS commodities are to be stored only in WDRA accredited CWC/SWC warehousing facilities duly certified and verified by Rajfed, RSWC/CWC authorities. In case of non-availability of such warehouses within 50KM radius from procurement centre, then only available scientific storage facilities of CWC/SWC within radius of 50KM from procurement centre may be utilised under consultation with NAFED.

5. Farmer registrations may concluded before commencement of procurement and documents of registered farmers shall be kept in hard copy as well as soft copy. The variety of the commodity from the standard list made available must be entered during registration and matched at the time of procurement.

6. If the State use their own portals, it is mandatory to provide procurement data on daily basis for syncing with NAFED eSamridhi platform. Payments to SLS would only be released on the basis of data synced with NAFED eSamridhi platform. The details for integration and sync requirement are mentioned in agreement.

(9)

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड)
NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LTD.
3rd Floor, Nehru Sahkar Bhawan, Bhawani Singh Road, JAIPUR-302001
Tel: 91-141-2740796, 2740145 Fax: 91-141-2740736
E-mail : nafjpr@nafed-india.com Website: www.nafed-india.com; Twitter:@nafedindia

7. The information on beneficiary farmers would also be provided in the UMANG App of Government of India and an App developed under eSamridhi platform. SLS would ensure that all the data on procurement is made available on a daily basis or even on real time basis.

8. Prior information of movement of procured stock to designated warehouse to Nafed enabling deployment of surveyors at storage points.

9. Mapping of Movement plan of stocks so procured at procurement centre to warehouse.

10. The stitching of the Gunny bags should be made only through stitching Machine. No hand made stitching will be made on the Gunny Bags. In the event of supplies of QR Code from NAFED, the QR Code tag must be stitched during the stitching of Gunny Bags. It may also pertinent to mention that the QR code tags shall replace the stencil and general tags, which is being stitched with gunny Bags.

11. The QR code will be provided by the nafed on payment basis upon timely requirement placed by SLS.

12 Submission of weekly purchase Bills, Labour & transportation bills alongwith all required supporting documents in a time-bound manner during the course of operation for timely settlement of bills and release of payments.

13. District wise average yield certificates should be obtained before commencement of procurement, as procurement should not exceed 25% of the district production.

14. Timely submission of clear WHRs which should be filled in all sorts viz., No. of Bags, Quantity(Net), Moisture %, Godown No & Stack No, Name of procurement centre, etc.

15. Copy of survey reports should be accompanied with original WHRs submitted. As, we have given instructions to our appointed surveyors to handover the copy of survey reports to concerned Warehouse Managers on daily basis.

Further, we are forwarding herewith the draft tripartite agreement to be executed between SLS/NAFED/RSWC/CWC and PSS Agreement to entered between SLS & Nafed which may kindly be duly executed and send us for onward submission to our Head Office. Copy of PSS Guidelines are also enclosed for reference and compliance.

Thanking you,

Yours faithfully,

State Head

Encl: as above. CC to : AMD(Pulses and Oilseeds) Nafed HO
CC to : RM (NZ) , Nafed HO

(20) (3)

परिशिष्ट-12

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

कमांकःफा. / ई–निविदा / लेखा / 2024–25 / 5166-5275 दिनांकः 25-1-2024

उप पंजीयक,
सहकारी समितियॉ,
....

विषयः–वर्ष 2024–25(अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) में समर्थन मूल्य पर दलहन / तिलहन(रबी व खरीफ) खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की दरों के निर्धारण / प्रक्रिया बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजफैड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 (अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) में समर्थन मूल्य पर नेफैड के लिये दलहन / तिलहन (रबी व खरीफ) की खरीद की जानी है। इसके अन्तर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये फर्मो / आवेदकों / ठेकेदारों एवं दरों का निर्धारण किया जाना है। राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार हैण्डलिंग एवं परिवहन व्यवस्था हेतु क्रय–विक्रय सहकारी समिति स्तर पर जिले के उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ के अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से ई–बिड प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है।

1– राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनसुार हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये समस्त उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ द्वारा जिलें की संबंधित सदस्य समितिवार ऑन–लाईन द्वि–प्रक्रमी बिड प्रणाली(टू–बिड) के अनुसार ई–बिड जारी की जावें। हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये दर प्राप्ति एवं प्रक्रिया निम्नानुसार की जानी होगी :–

1.1 <u>हैण्डलिंग कार्य :</u>

मंडी में खरीद की जाने वाली जिन्सों में निम्न मदो के हैण्डलिंग कार्य कराये जाते है :–

<u>अ–कृषक स्तर के कार्य</u>

कृषक के वाहन से जिन्स उतारना, छनाई / ग्रेडिंग कराना,कट्टे में भरना एवं कट्टे को कांटे पर रखना।

<u>ब–समिति स्तर के कार्य</u>

इसमें रंग मार्का, विवरण का टैग, क्यू.आर.कोड़ यदि लागू हो तो, यथासंभव मशीन से सिलाई, स्टेक लगाना, तुलाई, उतराई, ट्रक में लोडिंग करना आदि के व्यय (अधिकतम 10 प्रतिशत व्यय) सम्मिलित है। हैण्डलिंग कार्य के लिए आधार दर सम्बन्धित कृषि उपज राजकीय मंडी की दर होगी। ई–बिड में प्राप्त दरें तथा खरीद केन्द्र से सम्बन्धित राजकीय कृषि उपज मंडी समिति की दरों जो भी कम हो वही दर मान्य होगी। हैण्डलिंग कार्य में मंडी दर आधार दर से 10 प्रतिशत कम तक ही दर की बिड़ स्वीकार होगी। इस सीमा से कम दर की हैण्डलिंग कार्य की निविदा स्वीकार नहीं होगी। हैण्डलिंग कार्य के लिए बिड में प्राप्त दर तथा सम्बन्धित राजकीय कृषि उपज मंडी की निर्धारित दर दोनो में जो भी दर कम हो वह दर मान्य होगी।

क्रमशः

25/1/2024

1/4

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

1.2 परिवहन कार्य ::

1.2(1) परिवहन कार्य हेतु क्रय किये गये दलहन/तिलहन परिवहन के लिए आधार दर इकजाई पीडीएस दर (26.39 रू. प्रति क्विं.) होगी। बिड में प्राप्त दर, परिवहन की आधार दर से अधिकतम 10 प्रतिशत कम की सीमा तक मान्य होगी। निविदादाता द्वारा इस सीमा से कम दर पर दी गई दरें अव्यवहारिक होने से अमान्य होगी। यदि निविदा में एल-1 निविदादाता द्वारा हैण्डलिंग आधार दर व पीडीएस आधार के बराबर दर दी जाती है तो इन आधार दर पर प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। यदि बिड में पीडीएस आधार दर से अधिक दरें प्राप्त होती है तो निर्धारित कमेटी द्वारा एल-1 बिडदाता से नेगोसियेशन किया जा सकेगा।

1.2(2) नेगोसियेशन पश्चात समिति द्वारा यदि दरें नेगोशिएटेड दरें पीडीएस आधार दर से 20 प्रतिशत अधिकतम तक सीमा में निश्चित होती है तो निविदा समिति अपनी अनुशंसा सम्बन्धित जिला स्तरीय निविदा समिति की अनुशंसा के आधार पर जिला कलेक्टर की स्वीकृति व अनुशंसा सहित प्रकरण राजफैड मुख्यालय को प्रेषित किये जायेगे और कतिपय प्रकरणों विशिष्ट प्रकरणों में राजफैड मुख्यालय द्वारा पीडीएस से आधार दर से अधिक दरों की स्वीकृति प्रशासक राजफैड एवं मुख्य सचिव,राजस्थान से अनुमति Case to Case Basis आधार पर ली जाकर नेफैड की स्वीकृति हेतु प्रेषित की जायेगी।

1.2(3) ई-बिड में हैण्डलिंग एवं परिवहन(दोनों) कार्य हेतु प्राप्त दरें 10 प्रतिशत से कम की सीमा तक ही स्वीकार की जायेंगी। पूर्व में ऐसा देखने में आया है कि कतिपय ठेकेदार बिड को खराब करने के लिए बहुत कम दर भरते है तथा बाद में उक्त पर कार्य भी नहीं करते है। यदि प्राप्त दरें (हैण्डलिंग एवं परिवहन दर) आधार दर से 10 प्रतिशत कम है तो आधार दर की सीमा तक उतनी अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

2- अन्य दिशा-निर्देश :-

2.1- प्रवृत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार निविदा प्रक्रिया समर्थन मूल्य पर खरीद चालू होने से पूर्व पूर्ण की जानी चाहिये। किसी कारण से देरी हो जावे तो समक्ष स्तर से सहमति पश्चात किसी भी परिस्थिति में संबंधित खरीद सीजन समाप्ति दिनांक तक यह कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिये। इसकी सुनिश्चिता क्षेत्रीय कार्यालयों व उपरजिस्ट्रार कार्यालय स्तर से की जावेगी।

2.2- हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु वर्ष 2024-25 में आमंत्रित निविदा में स्वीकृत दरें दोनो सीजन (रबी व खरीफ) अर्थात पूरे वर्ष 2024-25 के लिए लागू होगी। मूंगफली के लिए हैण्डलिंग एवं परिवहन की दरें संवेदक निविदा प्रपत्र में पृथक से भरी जावेगी। यदि रबी के खरीद के दौरान कोई निविदा नहीं आती है और उसकेन्द्र पर खरीद भी नहीं हो। और अतिआवश्यक हो तो आगामी खरीफ सीजन के लिए निविदा इन दिशा-निर्देशों के क्रम में की जा सकेगी।

2.3- यदि कोई फर्म एक सीजन के लिए कार्य करने के उपरांत और दूसरे सीजन के लिए कार्य करने से मना करती है तो संबंधित उपापन संस्था द्वारा निविदा शर्त व अनुबंध प्रावधान के साथ-साथ आरटीपीपी एक्ट व नियम के अनुसार दोषी के विरूद्व कार्यवाही करते हुये नये सीजन बाबत निविदा कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ कर पूर्ण की जायेगी।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

2.4– मंडी दरों के अनुमोदन के लिए खरीद सीजन प्रारम्भ होने से पूर्व ही समस्त मंडी समितियों से कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से उप रजिस्ट्रार,सहकारिता कार्यालयों द्वारा तत्समय की प्रमाणित मंडी दरें प्राप्त कर ही निविदा कार्यवाही की जावे।

2.5– उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार,सहकारिता द्वारा जिलें की सदस्य समितिवार ई–बिड के माध्यम से दो लिफाफा बिड प्रणाली के अन्तर्गत प्रवृत्त दिशा–निर्देशों व निविदा प्रपत्र सहित आर.टी.पी.पी. एक्ट एवं नियमों के अनुसार बिड जारी की जानी होगी।

2.6– जिन स्थानों पर दो बार खुली ई–निविदा आमंत्रित करने के बाद निविदा प्राप्त नहीं होती है तो वहॉ कारण अंकित करते हुये उप रजिस्ट्रार,सहकारिता स्तर की निविदा समिति द्वारा सम्बन्धित जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर हैण्डलिंग कार्य मण्डी दर (आधार दर) पर और परिवहन कार्य पीडीएस आधार दर पर निविदा शर्तो के अनुसार पात्रता रखने वाले स्थानीय संवेदकों से सीमित निविदा/कोटेशन/एकल निविदा की कार्यवाही कर निविदा शर्तो के अनुसार पात्रता रखने वाले संवेदक/संस्था को संबंधित उप रजिस्ट्रार,कार्यालय द्वारा जिला कलक्टर के अनुमोदन उपरांत ही हैण्डलिंग एवं परिवहन संवेदक कार्य हेतु अनुशंसित किया जायेगा। एकल निविदा प्रकरण में चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी के निविदा शर्तो के अनुसार पात्रता रखने संबंधी सुनिश्चिता संबंधित उप रजिस्ट्रार,कार्यालय द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। यदि कोई सदस्य समिति स्वंय हैण्डलिंग एवं परिवहन का कार्य करती है तो उसे भी निविदा शर्तो के अनुसार पात्रता रखते हुये निविदा कार्यवाही में भाग लेना आवश्यक है तथा उसके द्वारा भी सभी पात्रता सहित संविदा/अनुबन्ध की शर्तो की पालना भी पूर्ण करनी होगी। सदस्य समिति द्वारा स्वंय हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य करने की स्थिति में जिला कलक्टर व उप रजिस्ट्रार द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि सदस्य समिति द्वारा पात्रता संबंधी समस्त शर्तो की पूर्ति कर ली है तथा वे इससे संतुष्ट है। कार्यकारी संस्था/संवेदक के लिए निविदा शर्तो और दिशा–निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी।

राज्य के विभिन्न क्रय केन्द्रों के लिये हैण्डलिंग एवं परिवहन के कार्यो हेतु रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के पत्र क्रमांक 15(27)संविरा/मार्के/स.मू.चना व सरसों/2018–19 दिनांक 28.03.2018 द्वारा राज्य के विभिन्न क्रय केन्द्रों के लिये हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की बिड खोलने एवं अन्तिम रूप दिये जाने हेतु निम्न कमेटी गठित है :–

सम्बन्धित इकाई का उप. पंजीयक	–	अध्यक्ष
जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि	–	सदस्य
सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड/प्रतिनिधि	–	सदस्य
नेफैड का प्रतिनिधि	–	सदस्य
सम्बन्धित व्यवस्थापक ,क्र.. वि.स.स.	–	सदस्य सचिव

उक्त कमेटी की अनुशंसा पर सम्बन्धित फर्म/आवेदक/ठेकेदार को कार्य आदेश सम्बन्धित क्रय–विक्रय सहकारी समिति द्वारा दिया जावेंगा। फर्म /आवेदक/ठेकेदारों की ब्लैकलिस्टेड की सूची एवं निविदा प्रपत्र राजफैड की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त निविदा प्रपत्र शर्तो में इस बाबत घोषणा पत्र की पालना आवश्यक करावें।

किसी संशय अथवा समस्या के उत्पन्न होने की स्थिति में राजफैड से दिशा–निर्देश प्राप्त करें,ताकि सभी जगह एकरूपता बनी रहें। क्रमशः

3/4 25/1/2024

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

रबी 2024 की खरीद प्रक्रिया मध्य 15 मार्च 2024 से प्रारम्भ होना संभावित है। अतः समस्त रूप से 10 मार्च 2024 तक बिड प्रक्रिया पूर्ण कर हैण्डलिंग एवं परिवहन की दरें निर्धारित कराकर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को कार्य आदेश जारी दिया जाना सुनिश्चित कर राजफैड मुख्यालय को अवगत करावें।

निविदा कार्य समय पर पूर्ण हो इस हेतु प्रशासक राजफैड एवं मुख्य सचिव,राजस्थान की ओर से एक पत्र पृथक से सम्बन्धित जिला कलेक्टर एवं रजिस्ट्रार,सहकारिता को प्रेषित कर दिया गया है।

समस्त उप रजिस्टार,सहकारिता अपने अधीनस्थ खरीद केन्द्र के क्षेत्र अधिकार वाली राजकीय मंडी दरों का विवरण खरीद सीजन प्रारम्भ होने से निविदा पूर्व ही कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से तत्समय प्रमाणित मंडी दरें प्राप्त कर लेवें।

पत्र के साथ ही सक्षम स्तर से अनुमोदित निविदा प्रपत्र शर्तो इत्यादि संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। आप अपने क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड से अविलम्ब सम्पर्क व सहयोग प्राप्त कर उक्त कार्य सम्पादित करावें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

Sd/-
वित्तीय सलाहकार,राजफैड

प्रतिलिपिः-

1- निजी सचिव,शासन सचिव,सहकारिता विभाग,जयपुर।
2- निजी सचिव,रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ,राजस्थान,जयपुर।
3- निजी सचिव,जिला कलक्टर,..।
4- निजी सचिव,प्रबन्ध संचालक,राजफैड,जयपुर।
5- अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ,अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/उदयपुर/भरतपुर।
6- महाप्रबन्धक(वाणिज्य) राजफैड,जयपुर।
7- राज्य प्रमुख,नेफैड,जयपुर।
8- क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड-अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/श्रीगंगानगर/जयपुर/उदयपुर।

25/1/2024
वित्तीय सलाहकार,राजफैड

5/5

परिशिष्ट-13

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकःफा./लेखा/2024-25/5303 - 5355 दिनांकः 31-1-2024

जिला कलक्टर,
.... ।

विषयः-वर्ष 2024-25 के लिए रबी व खरीफ(दोनों) सीजन के लिए समर्थन मूल्य पर जिंस खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन की निविदा समय पूर्व करने हेतु।

जैसा कि विदित है कि हर वर्ष की भॉति इस वर्ष 2024-25 में भी भारत सरकार के निर्देशानुसार नेफैड/एफ.सी.आई. के लिए रबी व खरीफ सीजन के लिए जिंसों की खरीद की जानी हैं। अतः यह निर्णय हुआ है कि हर वर्ष की भॉति वर्ष 2024-25 में भी सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांकः 15(27)सविरा/मार्के/स.मू. चना व सरसों/2018-19 दिनांक 28.03.2018 के अनुसार उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ,राजस्थान सरकार द्वारा निविदा प्रक्रिया सम्बन्धित जिला कलक्टर की देख रेख में उक्तानुसार प्रवृत्त दिशा-निर्देशों व निविदा शर्तो के अनुसार यह कार्य दिनांक 10.03.2024 तक सम्पूर्ण किया जावें।

मुख्य सचिव महोदय एवं संघ के प्रशासक के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निवेदन है कि आपके अधीन सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ को निर्देशित कर सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित उक्त निविदा कार्यवाही समय पर पूर्ण कर ली जावें।

(शक्ति सिंह राठौड़)
प्रबन्ध संचालक,राजफैड

प्रतिलिपिः-

1- रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ, राजस्थान-जयपुर।
2- मुख्य सर्तकता अधिकारी एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मार्के),सहकारी समितियॉ, जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके अधीन सभी उपरजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ को दिनांक 10.03.2024 तक निविदा कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश जारी करें।

प्रबन्ध संचालक,राजफैड

परिशिष्ट-14

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

कमांक:फा./लेखा/2024-25/ 6352-6401 दिनांक: 23/02/2024

उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
....

विषयः-वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग कार्य की कृषि उपज मंडी की नवीनतम दरों के संबंध में।

प्रसंगः-निदेशक,कृषि विपणन निदेशालय के पत्रांकःप.3()निकृवि/नियमन/हैण्डलिंग रेट/रसद दिनांक 10.02.2024

महोदय,

उक्त प्रसंगानुसार विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग कार्य की कृषि उपज मंडी की नवीनतम दरों के संबंध में निदेशक,कृषि विपणन निदेशालय के पत्रांकःप.3()निकृवि/नियमन/हैण्डलिंग रेट/रसद दिनांक 10.02.2024 से वर्ष 2023-24 व 2024-25 की हैण्डलिंग दरें आप सहित सभी संबंधितों को प्रेषित की है।

अतः उक्तानुसार अपने क्षेत्र की मंडी के लिए तदनुसार प्रवृत हैण्डलिंग कार्य की दरों को आधार मानते हुये निविदा कार्यवाही पूर्ण करावे। इस बाबत अपने जिले में पदस्थापित कृषि विपणन निदेशालय के अधिकारी से भी संपर्क करें।

23/2/2024
वित्तीय सलाहकार,राजफैड

प्रतिलिपिः-

1- निजी सचिव,प्रबन्ध संचालक राजफैड,जयपुर।
2- क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड-अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/कोटा/जयपुर/जोधपुर/श्रीगंगानगर /उदयपुर।
3- महाप्रबन्धक(वाणिज्य),राजफैड-जयपुर।

वित्तीय सलाहकार,राजफैड

परिशिष्ट-15

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

कमांक:फा./लेखा/2024-25/5356-5405 दिनांक: 31-1-2024

प्रबन्ध निदेशक,
कृषि विपणन निदेशालय
पंत कृषि भवन,
राजस्थान-जयपुर।

विषय:-वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग कार्य की सम्बन्धित कृषि उपज मंडी की नवीनतम दरों के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार नेफैड के लिए वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर रबी व खरीफ(दोनों) सीजन के लिए कृषि जिंस क्रय किये जाते है। इस कार्य हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2024-25 में हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जानी है। इस हेतु कृषि जिंस क्रय प्रक्रिया में सम्बन्धित मंडी की हैण्डलिंग कार्य की दर आधार रखी जा रही है। राजस्थान राज्य में स्थापित सभी कृषि उपज मंडी समितियों की वर्तमान में प्रचलित नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। जिससे निविदा कार्य निर्धारित समय तक सम्पन्न करवाया जा सकें।

संलग्नः-प्रोफार्मा।

प्रबन्ध संचालक,राजफैड

प्रतिलिपिः-

1- क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड समस्त को भेजकर लेख है कि आपके अधीन सभी कृषि उपज मंडी समितियों की नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरें प्राप्त कर मुख्यालय को एक सप्ताह में भिजवाये।

2- उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉं,समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि इस कार्य हेतु आपके अधीन कृषि उपज मंडी समितियों के नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरें प्राप्त कर सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय,राजफैड/मुख्यालय,राजफैड जयपुर को एक सप्ताह में उपलब्ध करावें।

वित्तीय सलाहकार,राजफैड

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति....................................,राजस्थान

क्रेता/व्यापारी के खरीद जिंसों पर लगने वाले खर्चो का विवरण(हैण्डलिंग दर)

क्र.सं.	विवरण	50 किलो.ग्राम. भर्ती (कट्टे की दर)	35 किलो.ग्राम(मूंगफली) भर्ती की दर
1.	जिंस की तुलाई		
2.	कांटे से उतराई/कांटे से कट्टे की खिंचाई		
3.	कट्टे की धागे से टैग के साथ मशीन सिलाई		
4.	ट्रक लोड़िग		

नोटः– टैग की सप्लाई नहीं होने की स्थिति में कट्टों पर रंग/मार्का लगाया जायेगा, जिसकी दर 50 पैसे प्रति कट्टा निर्धारित है।

प्रमाणित

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर प्रतिनिधि
(कृषि विपणन विभाग,राजस्थान,जयपुर)

(सचिव,कृषि उपज मंडी समिति,.............)

परिशिष्ट – 16

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकःफा. / लेखा / 2024–25 / 5773 – 5822 दिनांकः 8/2/2024

स्मरण पत्र प्रथम

निदेशक,
कृषि विपणन निदेशालय
पंत कृषि भवन,
राजस्थान–जयपुर।

विषयः–वर्ष 2024–25 में समर्थन मूल्य पर दलहन / तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग कार्य की सम्बन्धित कृषि उपज मंडी की नवीनतम दरों के संबंध में।
प्रसंगः–पूर्व पत्रांकः 5356–5405 दिनांक 31.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार नेफ़ेड के लिए वर्ष 2024–25 के लिए समर्थन मूल्य पर रबी व खरीफ(दोनों) सीजन के लिए कृषि जिंस क्रय किये जाते है। इस कार्य हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2024–25 में हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जानी है। इस हेतु कृषि जिंस क्रय प्रक्रिया में सम्बन्धित मंडी की हैण्डलिंग कार्य की दर आधार रखी जा रही है। राजस्थान राज्य में स्थापित सभी कृषि उपज मंडी समितियों की वर्तमान में प्रचलित नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरों की एक–एक प्रति उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया था।

कृपया कृषि उपज मंडी समितियों की वर्तमान नवनीतम प्रमाणित प्रचलित दरें शीघ्र ही भिजवाने का श्रम करावें।

Sd/
(शक्ति सिंह राठौड़)
प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपिः–

1– क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड समस्त को भेजकर लेख है कि आपके अधीन सभी कृषि उपज मंडी समितियों की नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरें प्राप्त कर मुख्यालय को एक सप्ताह में भिजवाने हेतु आपको पत्र लिखा गया था। लेकिन आप द्वारा आदिनांक तक एक भी समिति की दरें नहीं भिजवाई गई है।

2– उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ,समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि इस कार्य हेतु आपके अधीन कृषि उपज मंडी समितियों के नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरें प्राप्त कर सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय,राजफैड / मुख्यालय,राजफैड जयपुर को एक सप्ताह में उपलब्ध करावें।

8/2/2024
वित्तीय सलाहकार,राजफैड

परिशिष्ट-17

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकः वाणिज्य / 2023-24 / 8059 - 8119

दिनांक 13.12.2023
अति-महत्वपूर्ण

1. क्षेत्रीय अधिकारी,
राजफैड,
.... (समस्त)

2. उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
जिला ....(समस्त)

विषय :- समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स भण्डारगृहों में जमा करवाने / नॉन एफ.ए.क्यू. स्टॉक बाबत।

प्रसंग :- 1. राजफैड़ का पूर्व पत्र क्रमांक 6381-6880 दिनांक 26.10.23 एवं 7627-8027 दिनांक 06.12.23
2. नेफेड, जयपुर का पत्र क्रमांक 1320 दिनांक 07.12.2023

खरीफ 2023-24 में समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन-तिलहन की खरीद व्यवस्था के संबंध में विस्तृत आदेश प्रासंगिक पत्रों से जारी किये हुए है। समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत केवल मात्र एफ.ए.क्यू. श्रेणी का ही दलहन-तिलहन भण्डारण हेतु स्वीकार्य है। नॉन **एफ.ए.क्यू. श्रेणी के जिन्स का भुगतान नहीं किया जावेगा।**

नेफेड द्वारा संलग्न प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.12.2023 से अवगत कराया है कि सी.डब्ल्यू.सी. भण्डारगृहो पर नेफेड द्वारा सर्वेयर नियुक्त नहीं किये गये है। **सी.डब्ल्यू.सी. भण्डार प्रबन्धक व उनके तकनीकी सहायक द्वारा स्टॉक की जॉच कर भण्डारण करवाया जा रहा है। आर.एस.डब्ल्यू.सी. भण्डारगृहों पर नेफेड स्तर पर सर्वेयर कम्पनी की नियुक्ति प्रक्रियाधीन होने के** कारण **संबंधित** भण्डार **प्रबन्धक व उनके तकनीकी सहायक द्वारा स्टॉक की जॉच कर भण्डारण करवाया** जा रहा है **अर्थात्** आर.एस.डब्ल्यू.सी. **भण्डारगृहों पर भी नेफेड द्वारा** अभी तक **सर्वेयर नियुक्त नहीं किये गये है।** अतः सभी खरीद केन्द्र यह भली भॉति सुनिश्चित कर लेंवे कि भण्डारण हेतु **भिजवाया जाने वाला दलहन-तिलहन एफ.ए.क्यू. श्रेणी का ही है।** भण्डारण के दौरान यदि कोई जिन्स नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी का पाया जाता है तो जिन्स का संबंधित किसान को भुगतान अथवा जिन्स वापिस लौटाने के दायित्व संबंधित समिति का होगा।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि आपके क्षेत्र के क्रय केन्द्रों पर समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत समर्थन मूल्य दर पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद में निर्धारित **गुणवत्ता मापदंडो का पूर्ण ध्यान रखा जावे। निर्धारित गुणवत्ता** मापदण्डों के अनुरूप **मूंग, उड़द,** सोयाबीन **एवं मूंगफली खरीद की जिम्मेवारी सम्बन्धित समिति की होगी। इस कार्य में किसी भी प्रकार की** लापरवाही **स्वीकार नहीं होगी। इस संबंध में सभी केन्द्रों एवं इकाई अधिकारियों को** उपरोक्तानुसार **अवगत** कराना सुनिश्चित **करें।**

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

13/12
(संदेश नायक)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :-
1. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ राजस्थान जयपुर।
2. खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ .... (समस्त)
3. प्रबन्ध संचालक, तिलम संघ, जयपुर।
4. अधिशासी निदेशक (व्यापार), आर.एस.डब्ल्यू.सी., जयपुर।
5. क्षेत्र प्रबन्धक, सी.डब्ल्यू.सी., जयपुर।
6. राज्य प्रमुख, नेफेड, जयपुर।

महाप्रबन्धक (वाणिज्य)

NAFED
60 Years in Service

जय/विपणन/खरीफ -2023/2023-24 1320 07/12/2023

प्रबंध निदेशक
राजफेड,
जयपुर ।

विषय :- समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स भंडारग्रहों में जमा करवाने / नॉन एफ.ए.क्यू. स्टॉक बाबत ।

प्रसंग :- वाणिज्य/2023-24/7627-8027 दिनांक05/06/2023

महोदय,

उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासगिक पत्र के संबध में निवेदन है की समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत समितियों द्वारा केवल FAQ मानक की ही जिन्स किसानो से खरीद कर भंडारगृहो में जमा करवाया जाना सम्बधित समिति व्यवस्थापक की जिम्मेदारी है, इसलिये समिति द्वारा केवल FAQ मानक का ही स्टॉक किसानो से खरीद किया जाना सुनिश्चित करावे ।

समर्थन मूल्य खरीद अनुबंध की बिंदु क्रमांक 18 Quality check के क्रमांक ii पर अंकित विवरण इस प्रकार है :-

ii. Nafed will accept the stocks confirming to FAQ specification as per annexure "III" of this agreement. In case the quality does not conform to FAQ specification, the stocks shall not be accepted by Nafed under PSS and the SLS shall lift the rejected quantity immediately at its own cost.

भंडारगृह पर स्टॉक पाये जाने पर सम्बधित समिति को NON FAQ स्वंय के खर्चे पर भंडारगृह से स्टॉक NON FAQ को वापस लेकर जाना है ।भंडारगृह से रिजेक्टेडस्टॉक NON FAQ का विवरण समिति द्वारा अपने रजिस्टर में दर्ज सम्बधित किसान को लौटाया जाना सुनिश्चित कर विक्रय पर्ची निरस्त करने के लिए समिति प्रबंधको को पाबन्द किया जाये । पूर्व के वर्षो में खरीफ 2022 सीजन में भंडारगृहों पर जमा के समय NON-FAQ स्टॉक समितियों को लौटाये जाने पर बार-बार पुनरावर्ती की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक जय / विपणन/ मूंग स.म./2022-23/1622 दिनांक 09/12/2022 की फोटो कॉपी साथ में सलंग्न कर महोदय के सूचनार्थ भिजवाई जा रही है

आपके द्वारा भंडारगृहों पर सर्वेयर तत्काल नियुक्त करने के लिए कहा गया है जिसके संबध में अवगत कराना है कि पिछले दो वर्षो से CWC के भंडारगृहों पर नेफेड द्वारा सर्वेयर नियुक्त नही किये गये जहा पर भण्डार प्रबंधक व CWC के तकनीकी सहायक (TA) द्वारा स्टॉक की जाँच कर भण्डारित करवाया

परिशिष्ट-18

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांक सह / पी.एस.एस. / 2018-19 / 459-609   दिनांक: 06.04.2018

अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ
..................खण्ड.......................

विषय– समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत रबी 2018 में चना सरसों की खरीद के संबंध में।
प्रसंग– दिनांक 07.03.2018 को मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्णयों की क्रियान्विति

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 07.03.2018 को मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक 151-321 दिनांक 03.04.2018 के द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। राजफैड से संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करावें। कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 10 में यह स्पष्ट किया गया है कि खरीफ 2017 में भंडारगृहों में कृषि जिन्स जमा कराते समय कई स्थानों पर गुणवत्ता संबंधि विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः इसे देखते हुए रबी सीजन 2018-19 के लिए भंडारगृहों पर एफएक्यू श्रेणी के जिन्स के संबंध में निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है:-

1. आरएसडब्ल्यूसी / सीडब्ल्यूसी का प्रतिनिधि
2. नैफेड का प्रतिनिधि
3. कृषि विभाग का कृषि पर्यवेक्षक
4. संबंधित समिति व्यवस्थापक – सदस्य सचिव

वेयर हाउस में किसी भी प्रकार के रिजेक्शन में आवश्यक रूप से सर्वेयर से रिजेक्शन रिपोर्ट तैयार करवाई जावे तथा उस पर आवश्यक रूप वेयर हाउस मैनेजर के हस्ताक्षर हो ताकि कृषि जिन्स भंडारण कार्य में पारदर्शिता रखी जा सके।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :–
1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता एवं गोपालन मंत्री, महोदय, राजस्थान जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि, राजस्थान जयपुर
3. जिला कलेक्टर, (संबंधित)
4. महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा / कृषि / रसायन) राजफैड जयपुर
5. अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मार्के) सहकारी समितियाँ राजस्थान जयपुर
6. अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ.................................खण्ड.........................
7. संयुक्त निदेशक(व्यापार) राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम जयपुर
8. क्षेत्र प्रबन्धक केन्द्रीय भंडारण निगम जयपुर
9. शाखा प्रबन्धक नेफेड जयपुर
10. उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, (संबंधित).............................
11. क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड(समस्त)..............................

16

प्रबन्ध संचालक
राजफैड

परिशिष्ट-19

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांक:सह / पी.एस.एस. / 2021-22 / 12957-13052 दिनांक 28.03.2022 29

कार्यालय आदेश

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत क्रय कृषि जिन्स के भण्डारगृह में भण्डारण के दौरान गुणवत्ता संबंधी विवाद निवारण हेतु गठित कमेटी दिनांक 06.04.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार 5 सदस्यीय कमेटी का गठन तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

1. सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार – अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड़ – सदस्य
3. वेयरहाउस (आर.एस.डब्ल्यू.सी.) / सी.डब्ल्यू.सी.) प्रतिनिधि – सदस्य
4. नेफेड प्रतिनिधि – सदस्य
5. संबंधित समिति व्यवस्थापक – सदस्य सचिव

गठित कमेटी द्वारा क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता पर विवाद होने पर निम्न प्रक्रिया अपनायी जावे :-

1. सदस्य सचिव द्वारा कमेटी की बैठक का आयोजन किया जावेगा।
2. बैठक आयोजन के क्रम में नोटिस जारी किया जावेगा जिसमें तिथि, समय व विवाद विवरण का उल्लेख होगा।
3. बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4. वेयरहाउस व नेफेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ही प्रतिनिधि नामित किये जा सकेंगे।
5. गुणवत्ता के क्रम में बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. क्रय कृषि जिन्स गुणवत्तायुक्त नहीं पाये जाने पर कारण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
7. वेयरहाउस में गुणवत्तायुक्त कृषि जिन्स का ही भण्डारण किया जा सकेगा।
8. गठित कमेटी अन्यथा स्थिति यथा भंग या संशोधन न होने की स्थिति में यथावत कार्य करती रहेगी।
9. क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता के क्रम में सदस्य कमेटी के मध्य मतांतर होने पर सभी सदस्यों के अभिमत कार्यवाही में अंकित किये जावे।
10. कमेटी की बैठक में सम्पन्न कार्यवाही से नेफेड व राजफैड़ को तत्काल अवगत कराया जावे।
11. कमेटी आवश्यक समझे तो संबंधित क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य को मताधिकार नहीं होगा।

(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

परिशिष्ट -20

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकःप.10(2)कृषि / ग्रुप–2 / 75

जयपुर, दिनांकः 08/03/2024

अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17–ए तथा धारा 40– ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी कय–विकय संघ लिमिटेड (राजफैड) के माध्यम से दलहन, तिलहन की खरीद समर्थन मूल्य पर किए जाने पर वर्ष 2024–25 के रबी सीजन में खरीद अवधि तक के लिए उक्त खरीद पर राज्य की मण्डी समितियों को देय कृषक कल्याण फीस एवं मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अशोक कुमार मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ हेतु।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री कृषि विपणन (माननीय मुख्यमंत्री महोदय) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विपणन विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
7. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. प्रबंध निदेशक राजफैड जयपुर।
9. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त / उपनिदेशक कृषि विपणन विभाग।
10. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6021350

Signature valid
Digitally signed by Ashok Kumar Meena
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2024.03.08 [illegible]:44:00 IST
Reason: Approved

08

परिशिष्ट – 21

समर्थन मूल्य पर खरीद रबी वर्ष 2024 का स्टॉक प्रमाण पत्र

दिनांक ....

क्र.स.	जिन्स	पूर्व की खरीद		आज दिनांक .... की खरीद		कुल खरीद		वेयर हाउस में जमा		समिति पिड पर समिति की कस्टडी में		कुल वेयर हाउस में जमा एवं समिति के पिड पर	
		कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8 (4+6)	9	10	11	12	13 (9+11)	14 (10+12)
1.	चना												
2.	सरसों												
योग–													

परिशिष्ट-22

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु0-3) विभाग

क्रमांक.प. 6(3/2018

जयपुर, दिनांक 17.4.2018

--:आज्ञा:--

समर्थन मूल्य पर विभिन्न कृषि जिंसों की खरीद के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित चार समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है:--

(अ) [illegible]

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
6.	शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
	प्रबन्ध संचालक, आरएसडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
9	शाखा प्रबन्धक, नेफेड, जयपुर	सदस्य
10	प्रबन्ध संचालक, राज. रा. सह. बैंक लि.(अपेक्स बैंक), जयपुर	सदस्य
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
12	प्रबन्ध संचालक, रा.रा.स.क.वि.स.लि.(राजफैड), जयपुर	सदस्य सचिव

(ब) समर्थन मूल्य पर खरीद की दैनिक प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी हेतु राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3	महानिरीक्षक, पुलिस (लॉ एण्ड आर्डर) राजस्थान, जयपुर	सदस्य
	शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	प्रबन्ध संचालक, रा.रा.स.क.वि.स.लि.(राजफैड), जयपुर	सदस्य
6	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय), सहकारी समितियाँ, राज., जयपुर	सदस्य
7	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्के.), सहकारी समितियाँ, राज., जयपुर	सदस्य
8	प्रबन्ध संचालक, राज. रा. सह. बैंक लि.(अपेक्स बैंक), जयपुर	सदस्य
9	अतिरिक्त निदेशक, कृषि, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
10	अधिशाषी निदेशक, आरएसडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
12	शाखा प्रबन्धक, नेफेड, जयपुर	सदस्य
13	महाप्रबन्धक, वित्त, राजफैड, जयपुर	सदस्य
14	[illegible]	सदस्य सचिव

(स) जिला स्तर पर समर्थन मूल्य पर खरीद में समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु जिला स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	जिला कलक्टर, संबंधित जिला	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक, संबंधित जिला	सदस्य
3	अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां एवं पदेन प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड	सदस्य
4	जिला रसद अधिकारी, संबंधित जिला	सदस्य
5	निकटस्थ क्रय-विक्रय सहकारी समिति (के.वी.एस.एस.) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6	उप निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
7	प्रतिनिधि, आरएसडब्ल्युसी / सीडब्ल्युसी	सदस्य
8	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	सदस्य सचिव

(द) खरीद केन्द्र के स्तर पर समर्थन मूल्य की खरीद के मे आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु खरीद केन्द्र समन्वय एवं निगरानी समिति

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	संबंधित उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
3	उप पुलिस अधीक्षक / थाना इन्चार्ज (संबंधित)	सदस्य
4	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	सदस्य
5	प्रतिनिधि आरएसडब्ल्युसी / सीडब्ल्युसी	सदस्य
6	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति	सदस्य
7	के वी एस एस / खरीद केन्द्र का व्यवस्थापक	सदस्य सचिव

उक्त समितियों का प्रशासनिक विभाग सहकारिता विभाग है।

आज्ञा से

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल / माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सहकारिता मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त / कृषि विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
6. निजी सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
12. समस्त कोषाधिकारी, संबंधित जिला।
13. समस्त उप / सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां।
14. प्रबन्ध संचालक आरएसडब्ल्युसी / राजफैड / तिलम संघ, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली। [illegible]

(36)

परिशिष्ट -23

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांकः–व–15(11) कानून–व्यवस्था/2018–23/376 दिनांकः– 20-3-23

समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
समस्त उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

विषयः–समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत रबी 2023–24 में चना–सरसों के केन्द्रों के संबंध में।
प्रसंगः– राजस्थान राज्य सहकारी, क्रय–विक्रय संघ लि. के पत्र क्रमांक 5768–6488 दिनांक 17.03.23 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि रबी फसल 2023–24 में समर्थन मूल्य पर चना–सरसों की खरीद हेतु क्रय केन्द्रों पर लाया जायेगा। उक्त खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर किसी प्रकार की कानून–व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो इस संबंध में आपके जिलों के क्रय केन्द्रों पर फसल खरीद के दौरान आवश्यक पुलिस प्रबन्ध किया जाकर कानून–व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

20 MAR 2023
2321

20/3/2023

हिम्मत अभिलाष टाक,IPS
पुलिस अधीक्षक,
कानून–व्यवस्था, राज0, जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1.पुलिस आयुक्त, जयपुर/ जोधपुर।
2.समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
3.प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि. जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में।

Signature valid
Digitally signed by Himmat Abhilash Tak
Designation : Superintendent Of Police
Date: 2023.03.20 1?:22:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3439689

परिशिष्ट – 24

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग

क्रमांक : 2020–21/ 14706-14793 दिनांक 16.10.2020

जिला कलक्टर,
............................(सम्बन्धित)

विषयः समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2020 में मूंग, उड़द मूंगफली एवं सोयाबीन की खरीद केन्द्रों पर सुचारू खरीद व्यवस्था हेतु।

महोदय,

राजफैड़ द्वारा राज्य मे समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की दिनाक 01.11.2020 एवं मूंगफली की खरीद दिनांक 18.11.2020 से आरम्भ की जानी है। किसानों के ऑनलाईन पंजीयन दिनांक 20.10.2020 से आरम्भ किये जा रहे है।

क्रय केन्द्रों के सुचारू क्रियान्वयन एवं मौके पर आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु खरीद केन्द्रों के स्तर पर प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु–3) राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प 6(13) प्र.सु./अनु–3/2018 दिनांक 17.04.2018(संलग्न) के अनुसार समिति गठित की गई है। उक्त समन्वय एवं निगरानी समिति को आपके स्तर से सक्रिय करने हेतु निर्देश जारी करावें एवं साप्ताहिक रूप से इसकी रिपोर्ट प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

राजस्व सबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए खरीद के दौरान प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर एक नायब तहसीलदार/गिरदावर मय हल्का पटवारी की नामजद ड्यूटी लगाई जावें, जो कि खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर उपस्थित रहेगें एवं क्रय केन्द्रों पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करेगें। इन क्रय केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रत्येक केन्द्र पर 1–4 का पुलिस बल भी लगाया जावें। सम्बन्धित जिला कलक्टर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि (राजफैड़) को भी भिजवाना सुनिश्चित करे।

समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन खरीद का कार्य महत्वपूर्ण प्रकृति का है। आगामी दिनों में राज्य में निकाय चुनाव होने जा रहे है। खरीद कार्य में राजफैड, क्रय विक्रय सहकारी समितियों,सहकारी विभाग के अधिकारियों को चुनाव डयूटी से मुक्त रखा जाना है। सबंधित जिला कलक्टरस द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखते हुए व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि राजस्थान सरकार, जयपुर
2. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, राजस्थान, जयपुर–गत सीजन में जो केन्द्र संवेदनशील रहे है, उन पर विशेष निगरानी की व्यवस्था करवायी जावे।
3. शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त/संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं........................खण्ड........................
5. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं............................
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़ (समस्त)........................
7. प्रचार अधिकारी, सहकारी विभाग, जयपुर। (38)

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

परिशिष्ट-25

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांकः सह / पी.एस.एस. / 2023-24 / 3912-61 दिनांकः 6/3/2024

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं
जिला-कलेक्टर(समस्त)

विषयः राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि.(राजफैड) के कार्मिकों को लोक सभा आम चुनाव, 2024 की चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने बाबत।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजफैड द्वारा राज्य में गेंहूँ एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारम्भ की जा रही है। अतः समर्थन मूल्य पर खरीद के कार्य के मध्यनजर राजफैड के समस्त कार्मिकों को लोक सभा आम चुनाव, 2024 की चुनाव ड्यूटी से मुक्त कराने का श्रम करावें।

साथ ही सहकारिता विभाग के जिन कार्मिकों की आपके जिले में समर्थन मूल्य खरीद कार्य में ड्यूटी लगी हुई है, उन्हें भी चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने का श्रम करें।

सादर।

Sudhansh Pant 6/3
(सुधांश पंत)
मुख्य सचिव

परिशिष्ट-26

बैनर का प्रारूप

क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि.....................जिला ....

किसान द्वारा वहनीय खर्चो की राशि समिति में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जावे।

समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चना रबी वर्ष 2024–25 क्रय केन्द्र ....

समर्थन मूल्य दर सरसों – 5650/– रु. क्विंटल एवं चना 5440/– रु. क्विंटल

दलहन एवं तिलहन की एफ.ए.क्यू. किस्म के भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	मापदण्ड	दलहन (चना)%	तिलहन (सरसों)%
1	विजातीय तत्व, धूल मिट्टी ग्रस्त		
2	अन्य अनाज दाने – जैसे तोरिया		
3	टूटे फूटे दाने		
4	मामूली कस से क्षतिग्रस्त व बदरंग		
5	अपरिपक्व एवं टूटे हुये सिकुड़े व कच्चे दाने		
6	अन्य किस्म व मिले हुये		
7	दबे हुये व घुने दाने		
8	नमी की मात्रा		

- कृपया कृषक अपनी फसल को साफ व सुखाकर उक्त मापदण्डों की किस्म ही विक्रय हेतु लावें। एफ.ए.क्यू. का दायित्व स्वंय कृषक को होगा।
- कृषक अपनी जिन्स के विक्रय हेतु जनआधार कार्ड, गिरदावरी मूल, बैंक पासबुक व रजिस्ट्रेशन साथ लावे।
- उपरोक्त बिन्दु 1 से 8 भारत सरकार द्वारा घोषित मापदण्डों की परिभाषा के अधीन स्वीकार्य सीमा तक मान्य है।

जिन्स छनाई से लेकर कांटे पर बोरी रखाई तक के
किसान द्वारा वहनीय खर्चों की राशि का योग–

गतिविधि	दर प्रति कट्टा
1.उतराई	....
2. छनाई	....
3. भराई	....
4. कांटे पर रखाई	....

किसान द्वारा स्वयं सम्पन्न गतिविधी का चार्ज वसूल योग्य नहीं होगा।

व्यवस्थापक का नाम .... मोबाईल नम्बर ....

केन्द्र प्रभारी का नाम .... मोबाईल नम्बर ....

उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ......................

नाम...................... मोबाईल नम्बर ....

क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़...................... मोबाईल नम्बर ....

राजफैड़ टोल फ्री नम्बर 18001806001

मेल आई.डी. **rajfed@yahoo.com**

परिशिष्ट-27

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांक : वाणिज्य/2020-21/15988-16388

दिनाक 09.11.2020

1. खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियॉ राजस्थान,
....................................।

2. उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियॉ,
जिला....................................।

3. व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी,
क्रय-विक्रय सहकारी समिति,
....................................।

विषय :- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद हेतु अधिकारियों/कार्मिकों के दायित्व निर्धारण बाबत।

प्रसंग :- राजफैड़ का पत्र क्रमांक 14671-14680 दिनांक 20.10.20

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद में राजफैड के साथ-साथ सहकारी विभाग, क्रय-विक्रय सहकारी समितियो एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों (सहकार कृषक मित्र) की मुख्य भूमिका होती है। खरीद हेतु समय-समय पर सहकारी विभाग एवं राजफैड द्वारा सरकार/नेफेड के निर्देशानुसार आदेश/निर्देश जारी किये जाते है ताकि किसानों से कृषि जिन्सों की खरीद सुगमता से एव पारदर्शी तरीके से हो सके। खरीद संबंधी कार्यों को सुगमतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु दायित्वों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :-

(अ) इकाई अधिकारी (जिले का उप रजिस्ट्रार) के दायित्व

1. खरीद प्रारंभ होने से पूर्व कृषि जिन्सों के तहसीलवार बुवाई एवं उत्पादन के आंकडे जिला कलक्टर के माध्यम से भिजवाना।
2. खरीद प्रारंभ होने से पूर्व खरीद केन्द्रों की सूची एव तहसीलवार मैंपिग की सूचना जिला कलक्टर के माध्यम से भिजवाना तथा खरीद केन्द्रों पर खरीद हेतु आधारभूत सुविधाऐं यथा पूर्णकालिक व्यवस्थापक, पर्याप्त स्टाफ, गोदाम की उपलब्धता, खरीद हेतु पक्का एवं कवर्ड प्लेटफार्म, इलक्ट्रोनिक कांटा, वैब कैमरा, कम्प्यूटर, प्रिंटर, बायोमैट्रिक मशीन, इनवर्टर एवं माल की सुरक्षा हेतु इंतजाम आदि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना।
3. खरीद प्रारंभ होने से पूर्व निर्धारित खरीद केन्द्रों के केन्द्र प्रभारी एव कम्प्यूटर ऑपरेटर की एस.एस.ओ आई.डी. राजफैड़ के दिशा-निर्देश अनुसार भिजवाना।
4. विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक क्रय-विक्रय सहकारी समिति में एक-एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदस्थापन सुनिश्चित करना। जहां एक क्रय-विक्रय सहकारी समिति के एक से अधिक खरीद केन्द्र है वहां पृथक से विभाग के कार्मिक को लगाना।
5. राजफैड़ द्वारा खरीद के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करनां
6. खरीद के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर संबधित क्षेत्रीय अधिकारी से समन्वय कर उनका समाधान करना/करवाना तथा अनियमितताओं के संबंध में संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करना/कार्यवाही के निर्देश प्रदान करना।
7. खरीद के दौरान खरीद की गई जिन्सों का नियमित रूप से भण्डारण होना सुनिश्चित करना, बारदाना का खरीद के अनुपात में अनुमानित स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

8. खरीद के दौरान खरीद केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण करना जिसमें प्रमुख रूप से जिन्सों की गुणवत्ता, निर्धारित वजन, कृषकों से टेण्डर के अनुसार निर्धारित मजदूरी राशि की वसूली सुनिश्चित करना एवं कृषकों के दस्तावेजों की रेण्डम चेकिंग करना।
9. भण्डारित जिन्सों की भण्डारण रसीदें राजफैड़ को भिजवाया जाना सुनिश्चित करना।

(ब) समिति मुख्य व्यवस्थापकों के दायित्व

1. समिति मुख्य व्यवस्थापक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद हेतु राजफैड़ द्वारा जारी खरीद निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक व्यवस्थाऐं करेगें ताकि खरीद सुगमता से एवं पारदर्शी तरीके से हो सके।
2. हैण्डलिंग एवं परिवहन के टेण्डर आंमत्रित करना।
3. मुख्य व्यवस्थापक समिति स्तर पर कृषकों से जिन्स क्रय करने से लेकर जिन्स वेयरहाउस में जमा करवाकर एफ.ए.क्यू. बिना रिमार्क की भण्डारण रसीद राजफैड़ में जमा कराना।
4. खरीद/हैण्डलिंग एवं परिवहन के बिल समय पर राजफैड़ में जमा कराने तक के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

(स) केन्द्र प्रभारी के दायित्व

1. राजफैड़ द्वारा खरीद हेतु कृषकों को भेजे गए संदेशों के प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत कृषकों से निर्धारित दस्तावेजों को चैक कर रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना, किसान से जिन्स की खरीद मात्रा का निर्धारण क्रय केन्द्र पर कृषक द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी की हार्ड कॉपी से मिलान के आधार पर तय करना।
2. निर्धारित रजिस्टर संधारित करना, बटाईदार कृषकों से खरीद के दस्तावेज एवं रिकॉर्ड पृथक से संधारित करना तथा राजफैड़ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गिरदावरी चैक कर गिरदावरी सत्यापित करना।
3. कृषकों से निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार जिन्स क्रय करना, नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्सों का कारण अंकित करते हुए रिजेक्शन रजिस्टर में प्रविष्टि करना, रिजेक्शन स्लिप किसान को जारी करना तथा सैम्पल रखना।
4. गुणवत्ता विवाद की स्थिति में राजफैड़ द्वारा निर्धारित कमेटी की बैठक बुलाने की कार्यवाही करना/करवाना। 5. बारदाने का रिकॉर्ड रखना एवं आवश्यकतानुसार बारदाने की मांग राजफैड़ को भिजवाना, निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बारदाना प्राप्त नहीं होने पर पंचनामा कमेटी की बैठक बुलवाकर निर्धारित समयावधि में राजफैड़ को लिखित में अवगत करवाना।
5. बोरियों पर मार्का निर्धारित प्रारूप में लगवाना। बोरियों में जिन्स की मानक भर्ती एवं मशीन से ही सिलाई करवाना।
6. इलेक्ट्रोनिक तराजू का खरीद से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना, मॉइश्चर मीटर से जिन्सों की नमी मापना, क्रय जिन्सों की सुरक्षा व्यवस्था करना।
7. हैण्डलिंग एवं परिवहनकर्ता को प्रतिदिन खरीद की गयी जिन्सों को भण्डार गृह में जमा करवानें हेतु सुपुर्द करते हुए उसकी रसीद /बिल्टी प्राप्त करना, गेटपास जारी करना, ई-वे बिल जारी करवाना, एफ.ए.क्यू. बिना रिमार्क की भण्डारण रसीद राजफैड़ में जमा करवाना। प्रतिदिन डे-क्लोज करना।

(द) कम्प्यूटर ऑपरेटर के दायित्व

1. राजफैड़ द्वारा निर्धारित दस्तावेज किसानों से मूल रूप में प्राप्त कर पत्रावली में रखना।
2. नियमानुसार क्रय की गयी जिन्सों का ऑनलाईन विक्रय बिल जारी करना, क्रय रजिस्टर एवं विक्रय बिल पर किसान के हस्ताक्षर करवाना।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

3. किसान का बायोमैट्रिक सत्यापन करना। किसान का पंजीयन उसी तहसील का होना सुनिश्चित करना जिसमें तुलाई करवायी जा रही है। मोबाईल नम्बर तथा किसान के बैंक खाते का विवरण जनआधार में दर्ज खाते के विवरण से मिलान करना।
4. बटाईदार की स्थिति में इकरारनामा की वैधता जॉच कर पृथक रूप से रखे गये रजिस्टर में प्रविष्टि कर हस्ताक्षर करवाना।
5. किसानों से राजफैड़ द्वारा दिये गये ऑनलाईन मैसेजों के आधार पर प्राथमिकता से खरीद/बिल जारी करना।

समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्स खरीद कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपसी समन्वय स्थापित करवाते हुए अपना पूर्ण योगदान प्रदान करना सुनिश्चित करेगें।

भवदीया

(सुषमा अरोडा)
आई.ए.एस.
प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि :-
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर को राजफैड़ के प्रासंगिक पत्र दिनांक 20.10.20 की ओर ध्यानाकर्षित कर अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पाबंद करने का श्रम करे।
4. जिला कलक्टर .... ।
5. महाप्रबन्धक(वित्त/कृषि/वाणिज्य/मा.स.वि.), राजफैड़, जयपुर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़ .... ।
7. शाखा प्रबन्धक, नेफेड, जयपुर।
8. आई.टी. शाखा राजफैड़, जयपुर।
9. प्रचार अधिकारी, सहकारी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रबन्ध संचालक

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0

क्रय केन्द्र का विजिट किये जाने हेतु विजिट रिपोर्ट प्रारूप

1. विजिटकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम ....
2. क्रय केन्द्र का नाम ....
3. विजिट किये जाने की दिनांक ....
4. विजिट दिनांक तक की गई कुल खरीद जमा एवं शेष (बैग्स की संख्या)

क्र.सं.	जिन्स का नाम	कुल खरीद(बैग्स)	जमा	शेष	विशेष विवरण
1					
2					
3					
4					

5. बटाईदार से खरीद का सत्यापन

क्र. सं.	जिन्स का नाम	बटाईदार कृषकों की संख्या जिनसे विजिट दिनांक .... तक खरीद की गयी है	विजिट दिनांक तक बटाईदार कृषकों से क्रय किए गए जिन्स के दस्तावेजों के सत्यापन की संख्या	यदि कोई असमानता पायी जाती है तो उसका स्पष्ट विवरण पृथक से संलग्न करे।
1				
2				
3				
4				

6. गुणवत्ता संबंधी मूल्यांकन

....

....

....

7. तौल संबंधी मूल्यांकन

....

....

....

8. बारदाने संबंधी मूल्यांकन

क्र.सं.	जिन्स का नाम	केन्द्र पर प्राप्त कुल बारदाना (संख्या)	उपयोग में लिया गया बारदाना (संख्या)	शेष बारदाना (संख्या)	विशेष विवरण
1					
2					
3					
4					

9. खरीद किये जा चुके माल की सुरक्षा हेतु किये गये प्रबंध

....

....

....

10. कृषकों की पहचान बाबत मूल्यांकन

....

....

....

11. कृषक/ई–मित्र द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों यथा गिरदावरी, बैंक पासबुक, जनाधार–कार्ड का केन्द्र पर उपलब्ध भौतिक रिकॉर्ड से मिलान/विसंगति का मूल्याकंन

....

....

....

12. रिजेक्शन संबंधी मूल्यांकन

....

....

....

13. क्रय केन्द्र की साफ–सफाई, रोशनी / पेयजल एवं कोविड–19 से संबंधित व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे एवं क्रय केन्द्र पर लगाये जाने वाले बैनर्स आदि की व्यवस्था तथा किसान से वसूली योग्य राशि अंकित करे (बैनर्स की फोटो संलग्न करे)

....

....

....

14. तीन कृषकों से लिये गये बयान संलग्न करे एवं यदि कोई कृषकों की समस्या हो तो उसका विवरण देंवें

....

....

....

15. केन्द्र पर खरीदे गए माल का उठाव / ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं का विवरण(आदेश / वर्कऑर्डर की फोटो प्रति सहित)

....

....

....

16 . विशेष विवरण ....

....

....

....

विजिटकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर